प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110001।

संख्या 139 /तीस–खनन–मा0एन0जी0टी0/2024 दिनांक 5 /12 /2024

विषयः– **Original Application No. 1115/2024 (News Item titled " Rampant Mining causes Joshimath – like crisis in Uttarakhand's Bageshwar" appearing in India Today dated:14.08.2024)**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने ई–मेल पत्र दिनांक 19 अक्टूबर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मूल आवेदन संख्याः 1115/2024 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांकः 30 अगस्त 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण के समक्ष मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांकः 11 दिसम्बर 2024 से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्युत्तर दाखिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण पर प्र0 जिला खान अधिकारी बागेश्वर द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः 872/भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25 दिनांकः 26.11.2024 से प्रस्तुत आख्या व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर अन्तर्गत श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी स्यूनरी सदन, ए–3 जज फार्म, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 602/VII-1/2015/150-ख/2001 दिनांकः 27 मई 2015 से 04.812 है0 क्षेत्रफल पर 20 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है।

अध्यक्ष, कालिका माता मन्दिर कमेटी, काण्डा एवं अन्य ग्रामवासियों के शिकायती पत्रों दिनांकः 08.08.2022, दिनांकः 04.09.2022 जिसमें "माँ कालिका मन्दिर काण्डा (बागेश्वर) के आस–पास खड़िया खनन होने से मन्दिर की नींव को नुकसान होने का उल्लेख करते हुए कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है" में उपजिलाधिकारी काण्डा द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः 88/पी0ए0–विविध/2022 दिनांकः 23 नवम्बर 2022 से उपलब्ध करायी गयी आख्या में "भू–गर्भीय जॉच कराये जाने" का अनुरोध किया गया है। तद्क्रम में उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः 667/भू0खनि0इ0/जन0बागे0/2022–23 दिनांकः 09.01.2023 से प्रस्तुत आख्या में उल्लेख किया है कि "दिनांक 28.12.2022 को प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तहसील काण्डा अन्तर्गत ग्राम काण्डेकन्याल चक बखतिया, तहसील काण्डा में श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत लीज क्षेत्र के समीप माँ कालिका मन्दिर काण्डा स्थित है। पट्टाधारक द्वारा मन्दिर से लगभग 150 मी0 की दूरी पर खनन कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंदिर के आस–पास कोई भी भूधंसाव/दरारें आदि नहीं पायी गयी। मंदिर तथा खनन क्षेत्र के मध्य आवासीय भवन एवं कृषि भूमि स्थित है जिसमें कोई भूधंसाव आदि नही पाया गया। खनन कार्य के कारण मन्दिर को कोई खतरा नहीं पाया गया"।

शिकायतकर्ता श्री साधु राम पुत्र श्री तिल राम एवं अन्य व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2023 जिसमें "शिकायतकर्ताओं के मकानों के सामने बड़ी मशीनों से खुदाई कार्य होने पर मकान, पानी का नौला, धारा, रास्ता, सड़क, कालिका मन्दिर गैस गोदाम ध्वस्त होने के कगार पर होने का उल्लेख किया गया है" तथा प्रबन्धक, गैस सर्विस, काण्डा के पत्र संख्याः 53/11 गैस दिनांकः 23.01.2023 जिसमें "निगम की जमीन से लगते हुए खड़िया स्वामी द्वारा खड़िया खनन कार्य प्रारम्भ करने पर भविष्य में गैस गोदाम की सुरक्षा को खतरा होने के दृष्टिगत खनन कार्य रूकवाने का अनुरोध किया गया है" पर उपजिलाधिकारी

क्रमशः––2

Scanned with OKEN Scanner

काण्डा द्वारा पत्र संख्याः 256/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांकः 17 फरवरी 2023 से उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांकः 30.01.2023 जिसमें "भू–गर्भीय जॉच किये जाने का अनुरोध किया गया है", के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्याः 532/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 13.03.2023 से भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर को भू–गर्भीय जॉच हेतु निर्देशित किया गया। तद्कम में प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर द्वारा पत्र संख्याः 832/भू0खनि0ई0बागे0/भू0वि0/2022–23 दिनांक 28.03.2023 से उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लेख किया गया है कि "श्री नरेश राम के आवासीय भवन की दरारें पुराने समय से ही विद्यमान प्रतीत होती हैं। श्री साधु राम एवं घनश्याम के भवनों में आयी दरार खनन से ही उत्पन्न हुयी प्रतीत होती हैं। चूँकि दरारों के आने के कारण इनके ऑगन के आगे का पुश्ता पूर्व दिशा की ओर झुक गया है, इस कारण इस पर त्वरित सुरक्षात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। श्री हरीश राम के भवन में आयी दरारों का कारण खनन कार्य प्रतीत नहीं होता है, चूँकि हरीश राम का भवन उचित दूरी पर होने के साथ–साथ चट्टानी भू–भाग पर अवस्थित है जिस कारण उक्त आवासीय भवन में खनन के द्वारा दरार आना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मंदिर को जाने वाले मार्ग में आयी मोटी दरारों से भू–धॅसाव होने की स्थिति बनती है। सिमेन्टेट रोड में विद्यमान दरारों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पूर्व में मार्ग में आयी दरारों को भरे जाने के उपाय पर्याप्त नहीं है, इस कारण निकट भविष्य में भू–धंसाव को रोकने के लिये कड़े एवं सुरक्षात्मक कदम लिये जाने की आवश्यकता है। गैस गोदाम में कोई दरार नहीं पायी गयी है"।

श्री सोहन सिंह माजिला, ग्राम पंगचौड़ा, पो0ओ0 काण्डा, जनपद बागेश्वर के शिकायती पत्र दिनांकः 05.04.2023 जिसमें "मॉ कालिका मन्दिर में हो रहे भू–धॅसाव के कारण का पता लगाने हेतु भू–गर्भ सर्वेक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया है" पर उपजिलाधिकारी काण्डा द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः 312/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांकः 10 अप्रैल 2023 से राजस्व विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर द्वारा मन्दिर कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या दिनांकः 06.04.2023 "जिसमें जब तक सुरक्षात्मक उपाय न कर लिये जायें तब तक खनन क्षेत्र के ऊपरी भाग (जो कि मन्दिर मार्ग से सटा हुआ है) में खनन कार्य के लिए किसी प्रकार की मशीन उपयोग में न लायी जाय" का उल्लेख किया गया है, के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या 614/तीस–खनन/ 2022–23 दिनांक 12.04.2023 से श्री कुलदीप सिंह बिष्ट, पट्टाधारक सोपस्टोन माईन, काण्डेकन्याल को निर्देशित किया गया कि "खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग (वह भाग जो कालिका माता मन्दिर से सुनारगांव को जाने वाले मार्ग के समरेखण में अवस्थित है) में सीढ़ीदार सुरक्षात्मक पक्की बेंच (जिसका सामान्य ढलान 45^0 का होना चाहिये) बनाये जाने के अतिरिक्त खनन कार्य से पृथक–पृथक स्थानों पर आयी दरारों को भरे जाने की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ऊपरी भाग (जो कि मन्दिर मार्ग से सटा हुआ है) में खनन कार्य के लिए सभी प्रकार की मशीनों के उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है"।

महाप्रबन्धक, कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम, नैनीताल द्वारा पत्र संख्याः 5088/11–गैस दिनांक 31.01.2023 से "काण्डा गैस गोदाम परिसर के आस–पास खड़िया खनन कार्य रोके जाने हेतु" किये गये अनुरोध के कम में उपजिलाधिकारी काण्डा द्वारा पत्र संख्याः 330/पी0ए0–खनन/ 2022–23 दिनांक 20 अप्रैल 2023 से उपलब्ध करायी गयी खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या जिसमें "गैस गोदाम परिसर, लो0नि0वि0 मोटर मार्ग तथा आबादी स्थल से 50 मीटर की परिधि में सोप स्टोन खनन संकियायें निषिद्ध किये जाने व दीर्घकालीन सुरक्षा हेतु गैस गोदाम परिसर एवं लो0नि0वि0 मोटर मार्ग को स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से पृथक किये जाने का उल्लेख किया गया है", के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्याः 819/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 01.06.2023 से "सुरक्षा के दृष्टिगत पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र ग्राम काण्डेकन्याल अन्तर्गत गैस गोदाम, आबादी एवं मोटर मार्ग से 50 मी0 की परिधि में खनन संकियायें पूर्णतया निषिद्ध करते हुए पट्टाधारक को गैस गोदाम तथा आबादी के समीप बनाये पिटों को भरने के साथ ही सभी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने हेतु" निर्देशित किया गया है।

कमशः—3

Scanned with OKEN Scanner

"ग्राम काण्डेकन्याल अन्तर्गत खनन कार्य से आवासीय मकानों को खतरा होने के साथ–साथ भूस्खलन की शिकायतें" भी संज्ञान में आने पर उपजिलाधिकारी काण्डा द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः 456/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 01 अगस्त 2023 से उपलब्ध करायी गयी खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या जिसमें "पट्टाधारक द्वारा खनन मलुवा का निस्तारण नहीं किये जाने, खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न करने, दरारों का भरान न करने व पारित निर्देशों का परिपालन न करने पर पट्टाधारक के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है" के कम में इस कार्यालय के नोटिस संख्याः 1164/तीस–खनन–नो0/2022–23 दिनांक 08.08.2023 से "पट्टाधारक के विरूद्ध ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रूपया मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए जब तक संयुक्त निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों का निराकरण नहीं कर लिया जाता है तब तक खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है"। इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र संख्याः 1165/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 08.08.2023 से उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर एवं कार्यालय पत्र संख्याः 1166/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 08.08.2023 से पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर को "पट्टाधारक के विरूद्ध आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किये जाने हेतु" पत्र प्रेषित किया गया है।

तहसीलदार काण्डा द्वारा पत्र संख्याः 33/रा0ले0–खनन/2022–23 दिनांक 03 फरवरी 2024 से उपलब्ध करायी गयी आख्या कि "माईन संचालक वर्षाकाल पूर्व से ही माइन बन्द होने के कारण क्षेत्रान्तर्गत नहीं होने के कारण नोटिस की तामीली प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाई है। दूरभाष से उपरोक्त व्यक्तियों से सम्पर्क करने पर इनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 31.01.2024 को पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट को प्रेषित किया गया है" के कम में पुनः कार्यालय आदेश संख्याः 418/तीस–खनन/2023–24 दिनांक 01.03.2024 से पट्टाधारक को अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रूपया मात्र) जमा करने एवं जब तक संयुक्त निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों का निराकरण नहीं कर लिया जाता है तब तक खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य पर रोक यथावत् रखने हेतु निर्देशित किया गया है"। पट्टाधारक द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि जमा न किये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः 594/तीस–खनन/2024–25 दिनांक 24.05.2024 से कलेक्टर नैनीताल को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के आदेश संख्याः 89/बीस–114/जे0ए0–अनुमति/(2013–14) 2024 दिनांकः 21.10.2024 से प्रकरण पर खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4क(2)/21 के अन्तर्गत मुकदमे में मा0 न्यायालय में परिवाद दाखिल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रकरण पर पुनः दिनांकः 03 सितम्बर 2024 को राजस्व विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 बागेश्वर एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण सम्पन्न करने उपरान्त जांच आख्या प्रेषित की गयी है। संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे में खनन संक्रियायें नहीं की जा रही हैं तथा भू–धॅसाव दरारों के संभावित कारण निम्नवत् अंकित किये गये हैः–

1. भवनों के निर्माण में अभियान्त्रिकी/संरचनात्मक कमियाँ पाई गयी जैसे– अधिकांश भवनों में बीम एवं कॉलम का अभाव आदि।
2. प्रश्नगत स्थलों के अन्तर्गत जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पायी गयी। वर्षा जल तथा आवासीय भवनों में प्रयुक्त होने वाले जल को अनियन्त्रित रूप से प्रवाहित किया जा रहा है जो स्थल की भू सतह को जल संतृप्त कर कमजोर कर रहा है।
3. प्रश्नगत स्थलों के अन्तर्गत डोलोमाईट, लाईम स्टोन, टॉल्क प्रकृति की कमजोर चट्टानें अवलोकित की गयी है जो जल के सम्पर्क में आकर शीघ्र अपक्षयित होती है।
4. प्रश्नगत स्थलों पर भू सतह पर स्वस्थाने चट्टानें दृष्टिगोचित नही होती है।

कमशः––4

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रकरण में Geological Survey of India द्वारा दिनांकः 12 सितम्बर 2024 से दिनांकः 14 सितम्बर 2024 तक किये गये निरीक्षण टिप्पणी भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष कुमार भटगांई)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि, प्र0 जिला खान अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त मूल आवेदन संख्या में अधोहस्ताक्षरी (प्रतिवादी संख्याः 04) की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष निर्धारित समयावधि भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरण पर विलम्ब की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(आशीष कुमार भटगांई)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

NOTE ON PRELIMINARY ASSESSMENT OF GROUND SUBSIDENCE SITUATION IN BAGESHWAR DISTRICT, UTTARAKHAND

By

Yogendra Singh, Sr. Geologist and Tahir Mushtaq, Sr. Geologist

Geological Survey of India, SU: Uttarakhand, Dehradun

In pursuance to the office order no. D-26013/2/93/COS from the Geological Survey of India, State Unit: Uttarakhand, Dehradun, a team comprised of Yogendra Singh, Sr. Geologist and Tahir Mushtaq, Sr. Geologist visited the Bageshwar District for preliminary assessment of ground subsidence affected villages as reported by the Press Information Bureau on 05.09.2024. The GSI team made site visit to affected villages from 12th to 14th September, 2024. Prior to site visit GSI team had discussions with the District Magistrate and the District Disaster Management officials on 12/09/2024. The district administration informed that the rehabilitation cases for reported eleven villages are not recent ones and provided a list of the affected villages, as shown in Table 1. The location of these villages over geological map of Bahgeshwar district is shown in Fig. 1.

Table 1: Table showing the list of villages and number of houses rehabilitated or are in progress.

No	Tehsil	Village	Latitude	Longitude	Number of families	Year of rehabilitation	Status of rehabilitation
1.	Kapkot	Badeth	N29°59'30"	E79°55'51"	12	2017	Completed
2.		Dobarh	N30°12'23"	E79°53'17"	12	2013	Under progress
3.		Kuwari	N30°05'09"	E79°47'51"	11	2013	Completed
4.		Phullai	N29°55'35"	E79°54'20"	03	2017	Completed
5.		Malladesh	N29°57'19"	E79°57'12"	04	2017	Completed
6.		Badiyakot	N30°06'46"	E79°50'17"	07	2017	In progress
7.		Naukuri	N29°59'29.6"	E80°00'33.5"	01	2017	Completed
8.		Karmi	N30°02'51"	E79°53'23"	06	2022	Under progress
9	Kanda	Seri	N29°51'25.7"	E79°57'26.3"	08	2017	Under progress
10		Simgarhi	--	--	02	2017	Completed
11	Garur	Jakh	N29°55'08.9"	E79°43'56.9"	02	2018	Completed

As it is clear from the Table-1 that the rehabilitation cases of individual villages dates back up to 2013, it was necessary to prioritise the villages, where recent ground cracks have been developed or need immediate attention for geological survey by GSI. In view of this, the team met with local administration at tehsil level to find out the priority villages and the detailed description is as follows.

1. **Kanda Tehsil:** The team met with Sh. Anurag Aarya, SDM, Kanda Tehsil on 12/09/2024 and discussed about the ground situation of Seri and Simgarhi Villages under the jurisdiction of Kanda Tehsil. In this meeting, it was informed that ground crack have not been reported from Simgarhi village and the rehabilitation of two houses have been already done and there is no need for geological survey at present. The team was requested to visit Seri and Kanda Kaniyal village as

Scanned with OKEN Scanner

new cases of house cracks have been reported from these two villages of Kanda Tehsil. The preliminary assessment of these individual villages is discussed below:

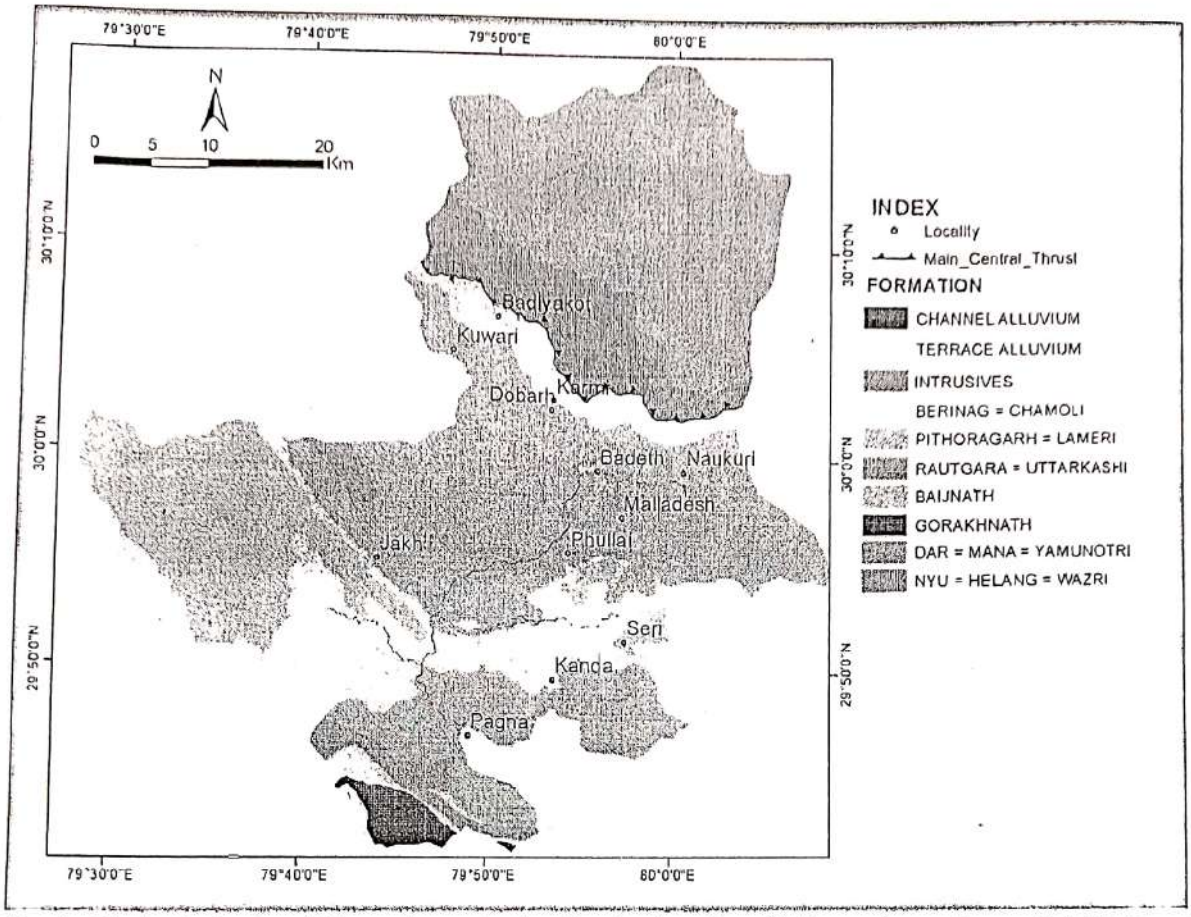

Fig. 1: Geological map of Bhageshwar district showing location of villages from where rehabilitation of houses has been done.

a) **Kanda Kaniyal Village:** The GSI team, accompanied by Sh. Anurag Aarya, SDM, Smt. Ritu Goswami, Naib Tehsildar, and other local authorities, visited Kanda Kaniyal village. The Tehsil administration prioritized the investigation of cracks in two residential houses and the Kalika Temple. The location of these investigated sites in Kanda Kaniyal village is shown in Fig. 2. The observations and suggestions for individual site are discussed below:

House-1: During the field inspection, multiple cracks were observed in the walls and floor of the house (Fig. 3) at coordinates N 29°49'42.01", E 79°53'31.48" but no ground crack were found. The house is located in a natural depression, with water seepage observed about 30 meters upslope. The development of cracks is mainly due to its location, which acts as a conduit for subsurface water, as indicated by seasonal springs and seepage. Although a channel was built to manage the seepage, its lining is damaged, causing water to flow underneath the house. This water movement saturates the slope material beneath,

Scanned with OKEN Scanner

gradually leading to ground settlement. While the house is situated in an unsuitable area, the primary cause of cracks in the house is due to gradual piping action (removal of fines) controlled by water seepage. The suitable remedial measures are given under conclusion and recommendations heading.

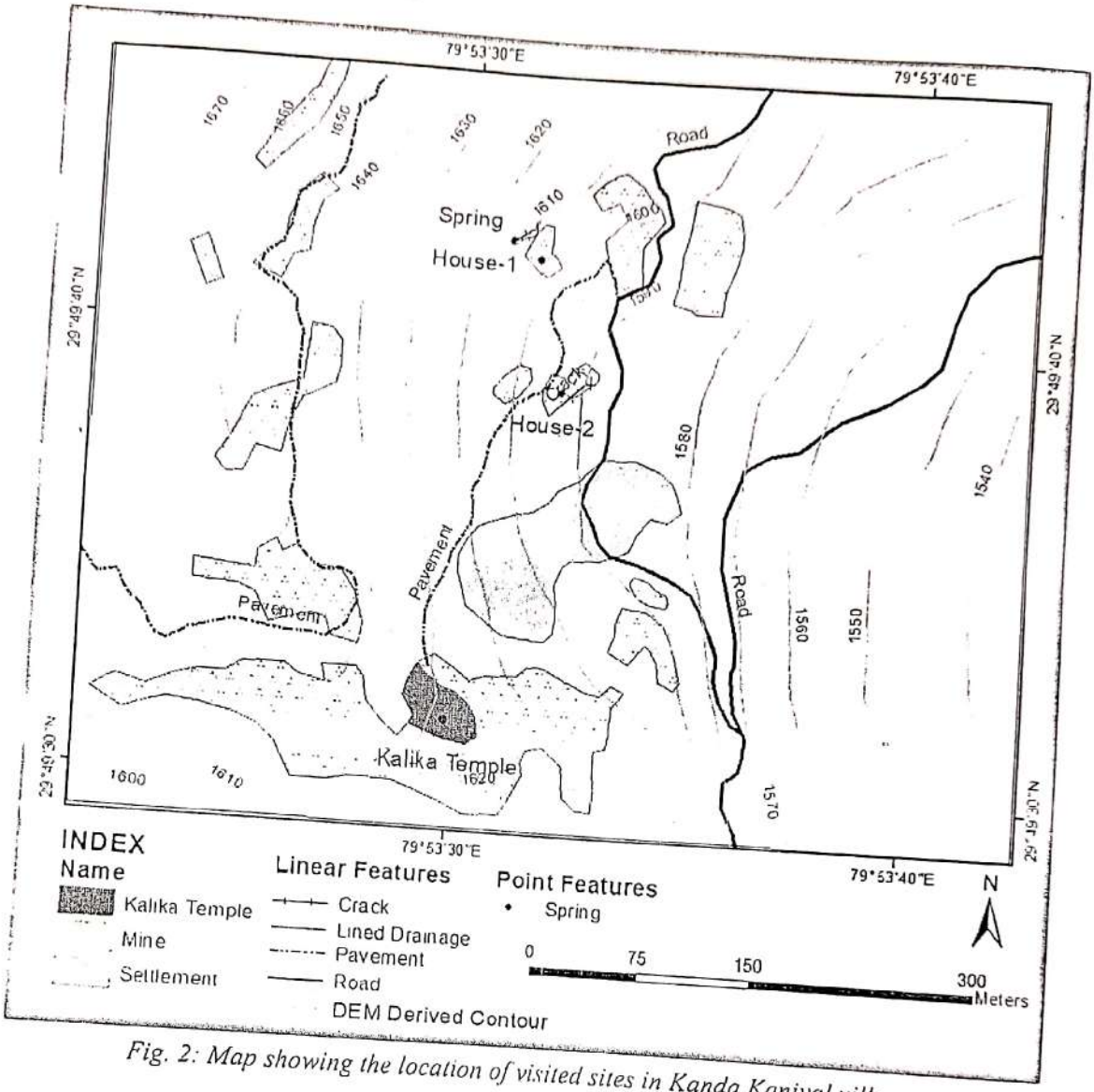

Fig. 2: Map showing the location of visited sites in Kanda Kaniyal village.

House-2: During the field inspection, a linear crack was observed near the outer boundary of the house porch at coordinates N 29°49'38.79", E 79°53'32.04" (Fig. 4). No cracks were found in the walls or ceiling of the house. The cracks at the outer edge of the porch are likely due to the defacing of a steep bench created downslope. The concrete slab is not provided with any reinforcement and it is usual to develop such cracks in outer part. These cracks are not related to the open cast mine soapstone mine, which is situated about 70 meters south of the house.

Scanned with OKEN Scanner

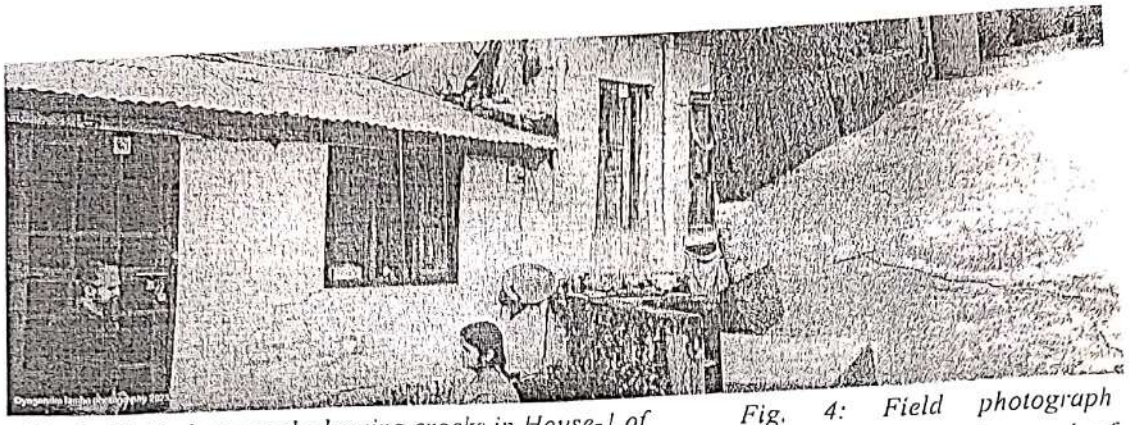

Fig. 3: Field photograph showing cracks in House-1 of Kanda Kaniyal Village.

Fig. 4: Field photograph showing cracks in the porch of House-2 of Kanda Kaniyal Village.

Kalika Temple: The temple is located at coordinates N 29°49'31.72", E 79°53'29.53" on a small ridge trending NW-SE, approximately 40 meters southwest of the open-cast mine. A curvilinear minor crack was observed on the floor of temple complex, measuring 2mm-5mm in width and extending 2-3 meters in length. The steep cutting for road construction has been observed just below the floor where cracks are developed. These cracks in the floor of temple primafacie appear to result from defacing of slope. However, several cracks have been reported in two houses situated on the slope below the temple complex. The cracking patterns on the northern slope of the temple and the houses below are similar, oriented in a NW-SE direction with the open face toward the NE. These cracks prima facie appear to result from defacing of slope but the role of open cast soapstone mine cannot be simply denied as the timeline of cracks with reference to mine development can put proper light on the issue. At present, the excavated part has been backfilled with waste material, due to which the steepness of the excavated slope could not be observed.

b) **Seri village:** The GSI team, accompanied by Smt. Ritu Goswami, Naib Tehsildar, and other local authorities, visited Seri village. The team examined six damaged houses, some of which had been rehabilitated in 2016-17 and 2019-20, with new cracks appearing in two of them. Additionally, several seepages, paleo subsidence scars, and sinkhole locations reported by local villagers were also noted down. The field photograph of one of the damaged house are shown in Fig. 5. The residents of this house have been rehabilitated by administration.

Analysis of Google Earth imagery indicates that Seri village is situated on a cone-shaped paleo slide material, sloping to the west (Fig. 6). This material is deposited over Augen Gneiss from the Proterozoic Baijnath Formation. The overburden is unsorted and contains large granite gneiss boulders embedded in a fine-grained matrix. The northern edge of the cone is defined by an unlined first-order nala fed by a spring located upslope to the east

Scanned with OKEN Scanner

(Fig. 6). According to a 1963 SOI toposheet, this nala used to merge with another first-order nala, but they no longer connect, and the springs have appeared.

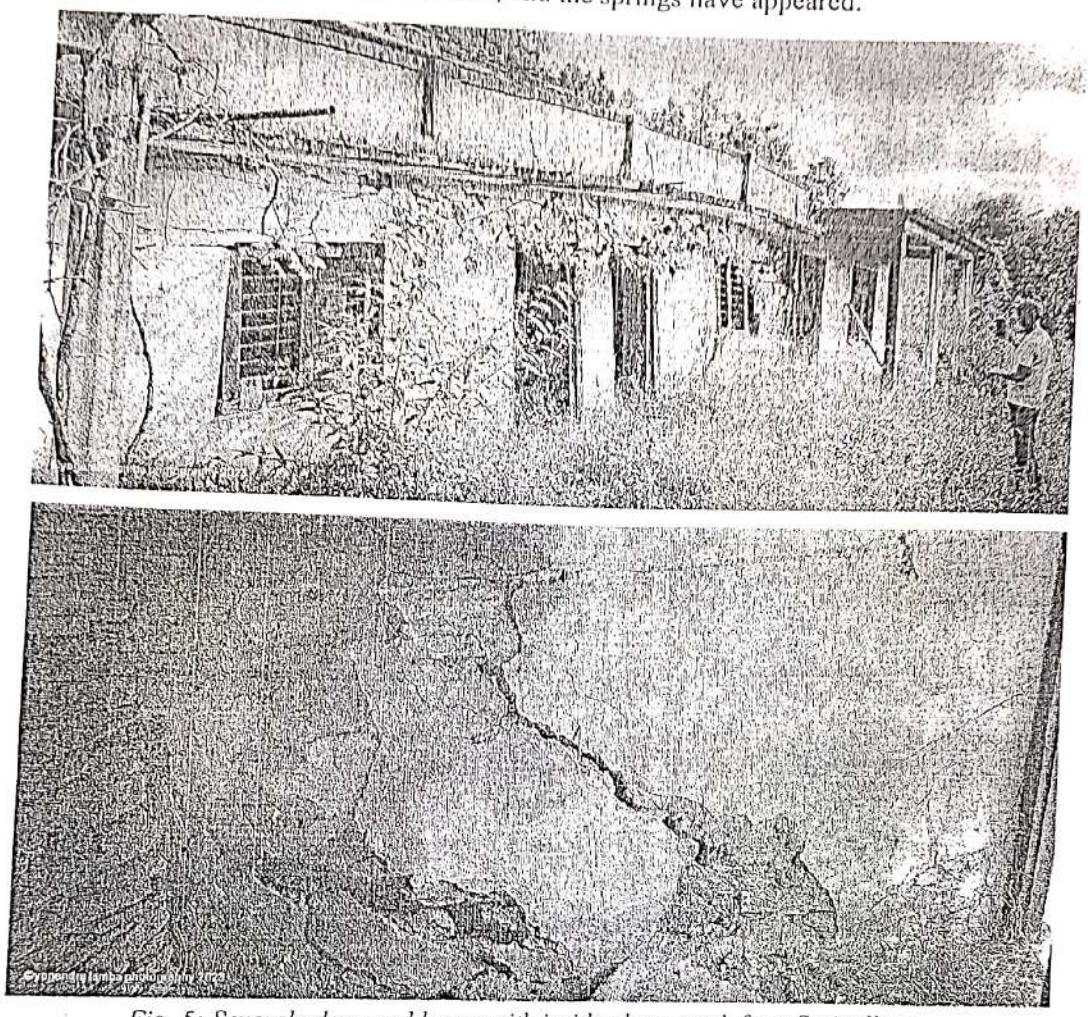

Fig. 5: Severely damaged house with inside photograph from Seri village.

Over time, new springs have formed, feeding the cone's crown and causing water to seep down its slopes (Fig. 6). This subsurface water percolation through the overburden material washes away finer particles, leading to sinkholes near the crown and subsidence in the mid-section. The spring-fed nala has also contributed to the slow undercutting of the slide material, causing instability along its flank, evident from the tilted trees.

Multi-temporal Google Earth Imagery shows that houses previously built near the crown, periphery, and toe of the paleo slide were repeatedly constructed but could not withstand the ground instability. The majority of rehabilitated houses were also in these areas as evident from the comparison of houses in 2009 and houses present today (Fig. 6). Recently, cracks have started to appear in homes located in the middle part of the village. Numerous

Scanned with OKEN Scanner

paleo-subsidence and landslide scars have been observed in the lower agricultural lands below the village, with villagers reporting similar subsidence issues there. The imagery also indicates the emergence of circular depressions in the agricultural fields.

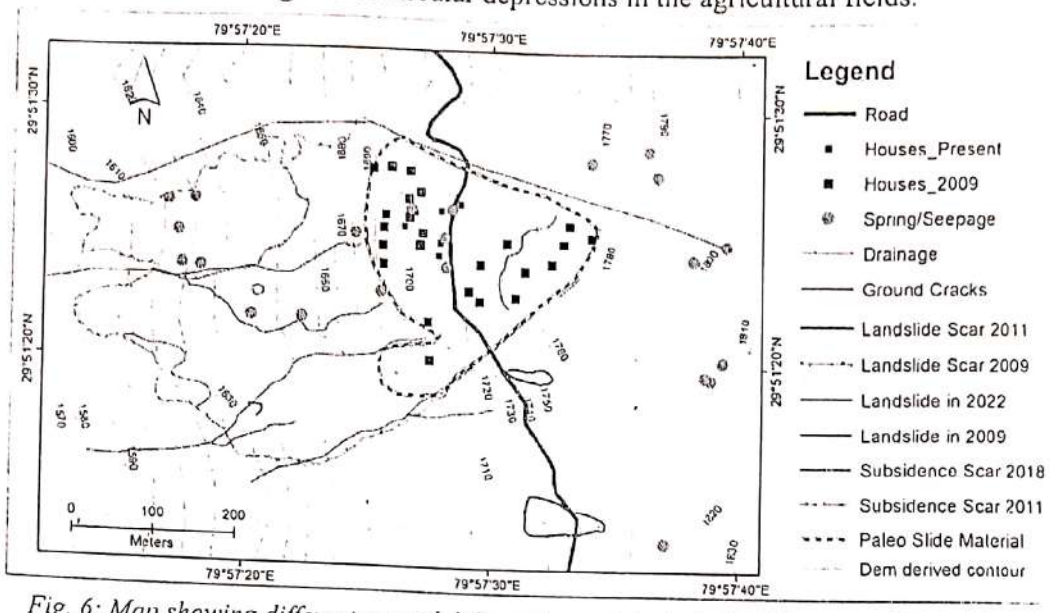

Fig. 6: Map showing different ground deformation and hydrological features of Seri Village.

2. Kapkot Tehsil: Kapkot Tehsil is one of the most severely affected areas in Bageshwar District, where a total of fifty-six families have been impacted by cracks in their homes under various conditions. The District Administration has facilitated their timely relocation to safer areas, taking into account geological studies and recommendations from the Department of Geology and Mining, Uttarakhand. These studies assessed cracks in houses and identified suitable rehabilitation sites for eight villages: Kuwari, Naukuri, Badeth, Malladesh, Phullai, Dobarh, Badiyakot, and Karmi, as indicated on SOI Toposheet nos. 53N/16, 53O/09, and 53C/01. Currently, rehabilitation has been completed for thirty-one families in five villagesKuwari, Naukuri, Badeth, Malladesh, and Phullaiwhile efforts for twenty-five families in three villagesDobarh, Badiyakot, and Karmiare ongoing. According to the administration, there are no recent or old ground cracks in these villages and the rehabilitation was based solely on the observed cracks in the houses. Details regarding these villages, including their locations, number of families affected, year of rehabilitation, and current rehabilitation status, are provided in Table 1. Since there are no recent ground cracks, the administration did not require a site visit for further geological investigation by GSI but a brief discussions cum Bhumisamvad was held at Tehsil office on 12/09/2024 and 15/09/2024. In this discussion SDM along with Naib Tehsildar and Patwari of different villages participated. The aim of this discussion was to aware the administration about how to access and use of National Landslide Susceptibility Map (NLSM) map of GSI. The discussion was also aimed to emphasize about the ground conditions in which GSI should be contacted for assessment of ground situation.

Scanned with OKEN Scanner

3. Garur Tehsil: The Garur Tehsil is located in the west of Bageshwar district and two houses have been rehabilitated from Jakh village of Garur Tehsil. To understand the ground condition of Jakh village, the GSI team visited the Garur Tehsil office on 13/09/2024 and met with Smt Nisha Rani, Tehsildar, Garur. She apprised about the problem of rehabilitation of two houses in Jakh village and informed that the problem was related to breaking of water pipeline and these are no recent ground cracks in the village but apprehend to visit the site for confirmation.In view of this the team visited Jakh village on 14/09/2024 and the observation are as follows:
The area falls under.

a) **Jakh village:** The Jakh village falls in SOI Toposheet no. 53O/09, with the rehabilitated homes situated at coordinates N 29°55'8.01", E 79°43'56.59". During the field visit, GSI team was accompanied by Sh. Yuvraj Goswami, Revenue Sub Inspector. He informed that an issue began in September 2020 when a water pipeline above the homes of Sh. Rajendar Singh and Surinder Singh (Narain Singh's son) ruptured in night on a rainy day. This led to a sudden flow of water that saturated the slope, causing cracks to develop in the north side of the above mentioned houses. The location of houses and water pipeline are shown in Fig. 7.

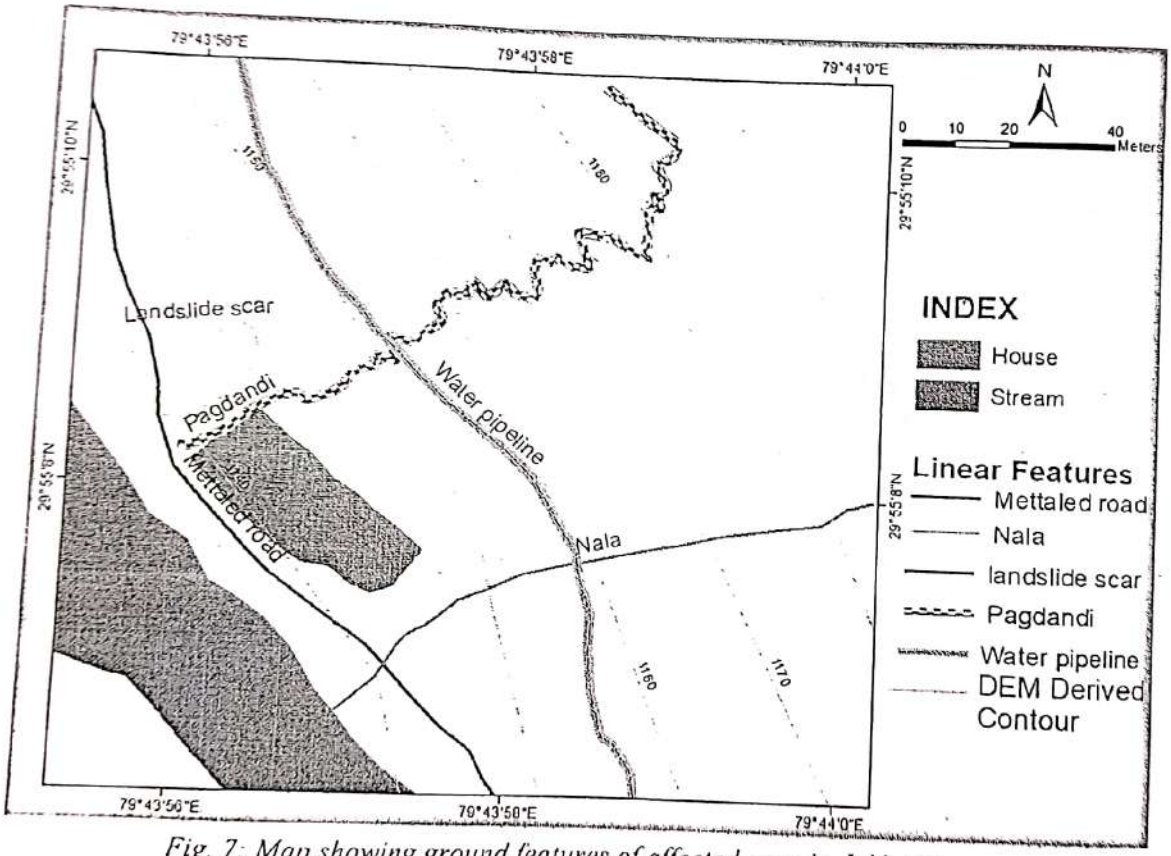

Fig. 7: Map showing ground features of affected area in Jakh village.

The presence of an old landslide scar located north of the rehabilitated homes was observed during field visit with the slope material consists of calcrete. The study of Google Earth

Scanned with OKEN Scanner

Imagery revealed that a landslide was triggered in 2012 during road construction. As per the information from local people a gabion wall was installed for support to this landslide. However, the 2020 water surge reactivated the landslide, increasing the risk of calcrete boulders rolling down and threatening the safety of residents. To mitigate this risk, the administration relocated the affected families to a safer location. The old scars of ground cracks were observed in agricultural land present above the landslide scar indicating its retrogressive nature.

4. **Pagna-Sakteshwar Road Subsidence:** A meeting was conducted with Shri Ashish Kumar Bhatgain, the District Magistrate of Bageshwar, to discuss the observations made by the GSI team in various localities. During this meeting, he highlighted significant subsidence that occurred on the Pagna-Sakteshwar road on September 13, 2024. In response, the GSI team, accompanied by Sh. Bijendra Singh Mehra, Assistant Engineer from PWD, Bageshwar, visited the site of the road subsidence at coordinates N 29°46'54.91", E 79°48'58.45". This subsidence disrupted the connection between Sakteshwar and Bageshwar, and the Pagna-Sakteshwar road has experienced step-like subsidence at the specified location (see Fig. 8). Ground features in and around the subsidence area are depicted in Fig. 8.

The road subsidence caused due to landslide measures approximately 90 meters in length, 60 meters in width, and 4 meters in depth, with a downslope movement of 1 to 2 meters. A soapstone mine is located just beneath the subsidence area (see Fig. 8). The landslide was triggered by the removal of toe support for soapstone extraction. The failed material consists mainly of weathered soapstone-bearing rock and overburden, categorizing it as a shallow translational failure. The landslide may continue to retrogress until it reaches the overlying competent bedrock, which is dolomitic limestone. A 42-geoparametric data sheet can be found in Annexure-1.

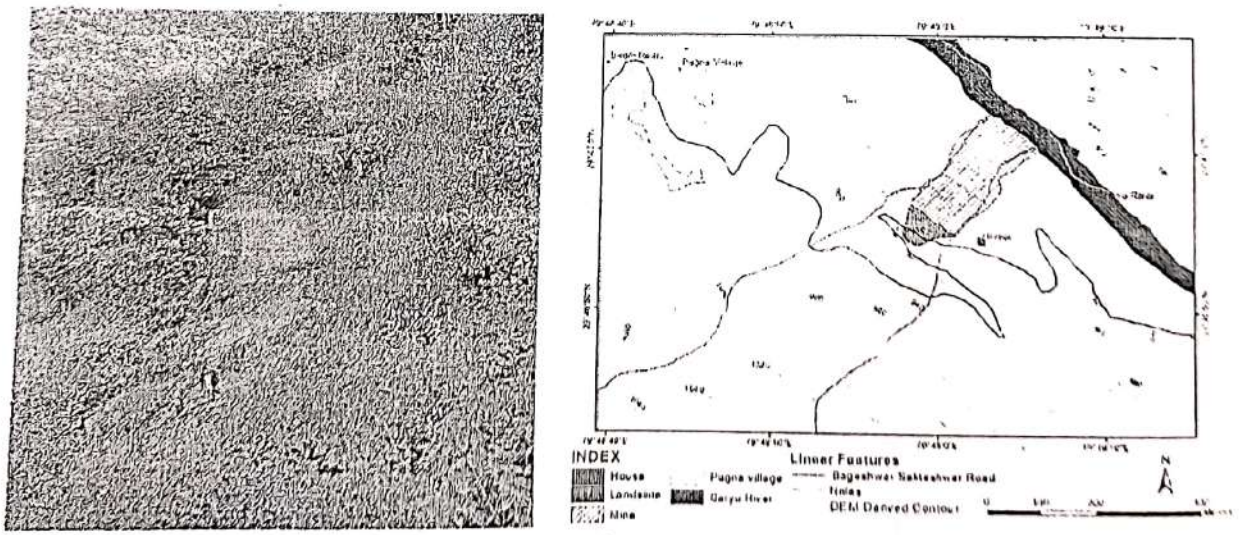

Fig. 8: Field photograph of road subsidence along with map showing ground features of Pagna-Sakteshwar road subsidence location.

Scanned with OKEN Scanner

Conclusion and Recommendations: The preliminary assessment of ground subsidence in Bageshwar District suggest that many interventions date back several years, highlighting the necessity to prioritize locations with recent subsidence issues, if any. Key findings underscore the varying causes of ground instability, including water seepage, erosion, and mining activities, necessitating tailored recommendations for each site.

1. **Kanda Kaniyal Village:** The House-1 is located in a natural depression and a seasonal spring/seepage is present behind the house. It is recommended to provide a deep lined trench with weep holes to the upslope of the house to collect and divert the subsurface water and establish proper drainage to direct the water downslope. This solution may address the current issue, but given the house's location in a natural depression, surface water flow during heavy rains could still pose a risk. The cracks at the outer edge of the porch in House-2 can be mitigated by constructing a retention wall with weep holes to support the steep face of the bench, if required. The cracks in Kalika Temple prima facies appear to result from defacing of slope but the role of open cast soapstone mine cannot be denied. Therefore, it is recommended to collect photos and videos before backfilling of the mine to better understand its impact on the destabilization of areas present upslope to these mines.

2. **Seri village:** The ground subsidence problem in Seri village primarily stems from the free flow of spring water at the crown of the paleo slide and erosion along the nala flank. Based on these preliminary findings, it is recommended to establish controlled drainage for the spring water originated upslope of Seri village and to line the nalas on the northern and southern side of Seri village. The detailed study of the village will be helpful in developing a proper slope management plan.

3. **Jakh Village:** The landslide present on the road section is retrogressive in nature as suggested by ground cracks in the agricultural land. In view of this, it is recommended to place a retaining wall with weep holes instead of gabion wall at the toe of the landslide to mitigate the risk in future.

4. **Pagna-Sakteshwar Road Subsidence:** Geological assessments indicates that mining activities in the downslope of the affected area have already compromised the natural stability of the material. Currently, the excavated area of the mine has been backfilled, making it difficult to assess changes in the natural slope profile. As a result, it is recommended to document the excavated slope through photos and videos before backfilling in the future. This documentation will provide valuable information on the potential impact on the stability of upslope areas if any ground instability issues arise. Restoring the natural stability of the material appears unlikely, as engineering solutions may not economically prevent the already triggered landslide, especially considering that the bedrock beneath is soft soapstone. The landslide is expected to retrograde uphill, and it is suggested that the recently constructed house near the crown of the landslide be

Scanned with OKEN Scanner

relocated. A detailed study is also recommended to evaluate the area's suitability for restoring the existing road.

Addressing these recommendations across different locations is essential to mitigate risks, enhance community safety, and prevent future damage. Prompt action will not only protect existing structures but also inform future planning and development in subsidence-prone areas. The collaboration between geological experts and local administration is crucial to ensure the effective implementation of these measures.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

No	Field	Description
1	Slide No	01
2	State	Uttarakhand
3	District	Bageshwar
4	Toposheet	53O13
5	Name of the slide	Pagna Landslide
6	NH/SH/Locality	Bageshwar-Pagna-Sakteshwar road
7	Latitude	29° 46' 54.91"
8	Longitude	79° 48' 58.45"
9	Length	90 m
10	Width	60 m
11	Height	65 m
12	Area	5400 sq. m
13	Depth	4 m
14	Volume	21600 cube m
15	Run Out Distance	NIL
16	Type of material	Soil
17	Type of movement	Slide
18	Rate of movement	Rapid
19	Activity	Active
20	Distribution	Confined
21	Style	Single
22	Failure mechanism	Shallow planer failure
23	History	13.09.2024
24	Geomorphology	Valley
25	Geology	Dolomitic limestone.
26	Structure	S0//S1:Variable due to fold closure , S2: 030/75SE
27	Landuse/ landcover	Mine (Open cast soapstone mine)
28	Hydrological condition	Damp
29	Triggering factor	Rainfall
30	Death of person	NIL
31	People affected	NIL
32	Livestock loss	NIL
33	Communication	Bageshwar-Pagna-Sakteshwar road
34	Infrastructure	NIL
35	Agriculture/Forest/Barren	Agricultural land on lease for mining of soapstone.
36	Geo-scientific causes	Removal of toe support during excavation for soapstone.
37	Remedial measures	Rehabilitation of newly constructed house along with detailed study is recommended for restoring the existing road.
38	Remarks	

Scanned with OKEN Scanner

39	Photos/ Sketches/Sections	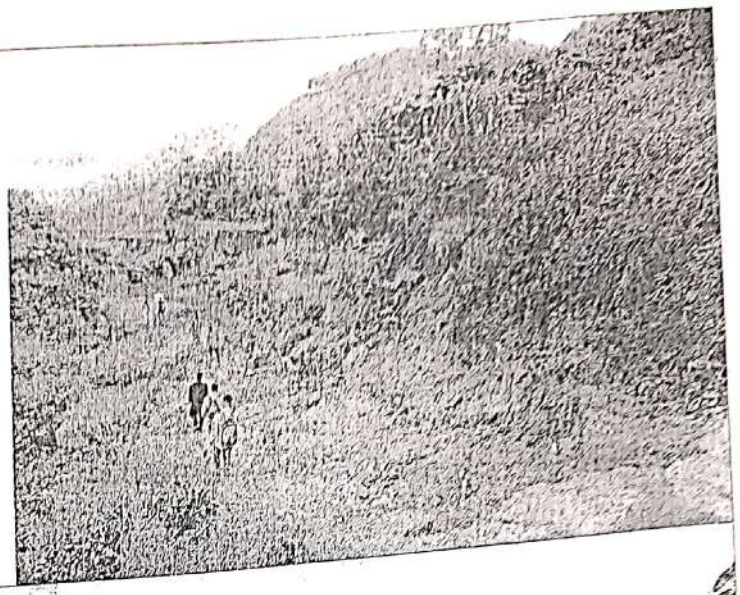
		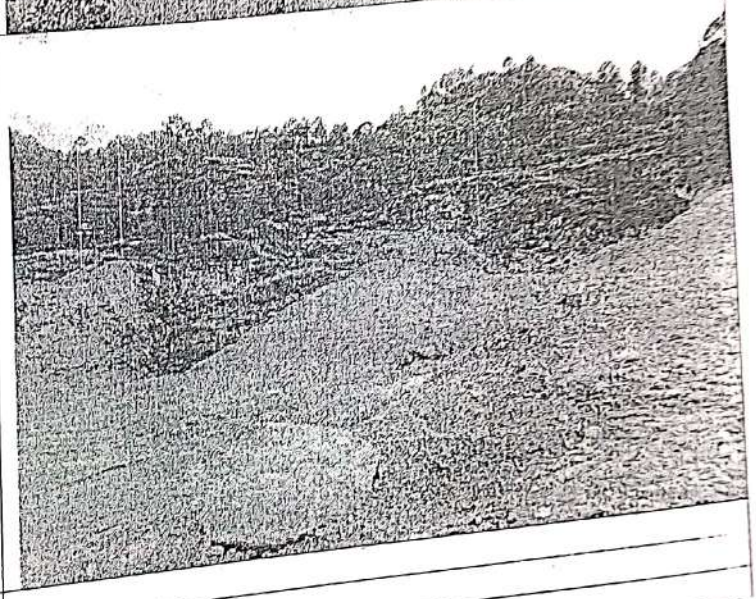
40	Summary/Abstract	
41	PDF	
42	Landslide category	II

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 602 /VII-1/2015/150-ख/2001
देहरादून : दिनांकः 27 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर की तहसील काण्डा के ग्राम काण्डे कन्याल के क्षेत्रान्तर्गत 4.812 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी स्यूनरी सदन, ए-3 जज फार्म, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा दिनांक 30.12.2013 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में आवेदक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में शासनादेश संख्या 45/VII-1-11/150-ख/2001, दिनांक 11.07.2011 के द्वारा 4.812 हैक्टेयर भूमि के एक संहत खण्ड में 20 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया, आवेदक द्वारा सहमति निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत करने, आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में हुए लगभग 38 माह के विलम्ब के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 07.11.2014 को दिये गये स्पष्टीकरण को दृष्टिगत नियम-31 के प्राविधानान्तर्गत मर्षण करते हुए तथा आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम-22(1) एवं नियम-34 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के आवेदन पत्र के क्रम में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-5 व 8 एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम-27 के प्रतिबन्धों तथा नियमावली के प्रपत्र फार्म "के" की शर्तों एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों में उल्लिखित निर्बन्धों और प्रतिबन्धों सहित निम्नलिखित निर्बन्धनों और प्रतिबन्धों पर श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी स्यूनरी सदन, ए/3 जज फार्म, पोस्ट हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में 20 वर्ष का खनन पट्टा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-

1.	खनिज का नाम	सोपस्टोन
2.	क्षेत्रफल/क्षेत्र	4.812 हैक्टेयर भूमि के एक खण्ड में ग्राम काण्डे कन्याल, जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा में जो विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

3.	अवधि	पट्टा विलेख के पंजीयन की दिनांक से 20 वर्ष तक
4.	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5.	प्रतिभूति	रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) जमा करना होगा।
6.	स्वामित्व (रायल्टी)	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–9 की अनुसूची–2 एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
7.	भूतल भाटक	राजस्व विभाग/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित।
8.	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार।

9. अतिरिक्त शर्तें:

9.1 यदि आवेदक द्वारा इस आदेश की तिथि से नियम–31 के अधीन 06 माह के भीतर समुचित पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है तो यह आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुए प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

9.2 यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9.3 स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत स्थित सार्वजनिक स्थल/रास्ता/रौली आदि को क्षति नहीं पहुचांई जायेगी। सीमाबन्धित क्षेत्रान्तर्गत 0.045 हैक्टेयर सार्वजनिक भूमि के खसरा संख्या 392म रकवा 0.015 है0 रास्ता, खसरा संख्या 479म0 रकवा 0.010 है0 रौली, खसरा संख्या 491 म रकवा 0.002 है0 रौली, खसरा संख्या 529 रकवा 0.018 है0 रास्ता कुल रकवा 0.045 हैक्टेयर भूमि पर खनन कार्य निषिद्ध होगा तथा उक्त भूमि को संरक्षित करने की जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।

9.4 खनन कार्य से किसी सार्वजनिक स्थल/सड़क/धार्मिक स्थान/वृक्ष आदि को क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

9.5 पट्टाधारक को खनन के दौरान पट्टा विलेख की सभी शर्तों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

9.6 पट्टा विलेख हेतु विधिक्षण शुल्क रू0 300/–लेखाशीर्षक 070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, 01–व्यय प्रशासन, 501–सेवायें फीस, 01–की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की गयी में, पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

9.7 शासनादेश संख्या 834/औ0वि0/88–ख/2003, दिनांक 07.01.2004 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों पर 4.812 हैक्टेयर भूमि पर खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हो, तो अपनी लिखित सहमति एवं खनन पट्टा विलेख भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून कार्यालय के माध्यम से विधि विधिक्षित आलेख को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–35 के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पर विधिक्षित आलेख पर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 602 (1)/VII-1/2015/150–ख/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 02.12.2014 के क्रम में।
3. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी स्यूनरी सदन, ए/3 जज फार्म, पोस्ट हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 809 /भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25, दिनांक: 11/11/2024

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
काण्डा, बागेश्वर।

विषयः– **मॉ कालिका मन्दिर काण्डा पड़ाव एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में हो रहे भूधसाव एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 202/पी0ए0–विविध/2023–24 काण्डा दिनांक 02.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विविध समचार पत्रों/सोसियल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया गया हे कि मॉ कालिका मन्दिर काण्डा पड़ाव एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में भूधसाव से ग्रामवासियों के मकानों दरारें आ रही है। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा दूरभाष पर तत्काल प्रश्नगत क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण में कार्यदायी संस्थाओं को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिये तथा सर्वेक्षण हेतु दिनांक 03 सितम्बर 2024 की तिथि नियत की गयी। उक्त तिथि को प्रश्नगत स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण उपरान्त संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 की तिथि को किया गया जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खान अधिकारी

27-11-24
DIC

Scanned with OKEN Scanner

विषय–मॉ कालिका मन्दिर काण्डा पड़ाव एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में हो रहे भूधंसाव एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्बन्ध में।

प्रस्तावना–उपरोक्त विषयक उपजिलाधिकारी, काण्डा के पत्र संख्या 202/पी0ए0–विविध/2023–24 काण्डा दिनांक 02/09/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विषयक विभिन्न समाचार पत्रों/सोशियल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि कालिका मन्दिर काण्डा पडाव एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में भूधसाव से ग्रामवासियों के मकानों में दरारें आ रही हैं। साथ ही आम जनमानस द्वारा सुरक्षात्मक उपाय किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा दूरभाष पर तत्काल प्रश्नगत क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण में कार्यदायी संस्थाओं को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित निर्माण कार्यों की स्थिति भी स्पष्ट हो सके तथा सर्वेक्षण उपरान्त संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है।प्रभावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण तहसीदार काण्डा, प्रभारी जिला खान अधिकारी बागेश्वर,सहायक अभियन्ता लोनिवि बागेश्वर, अपर सहायक अभियन्ता पीएमजीएसवाई बागेश्वर तथा सहायक भूवैज्ञानिक बागेश्वर द्वारा दिनाक 03/09/2024 को भवन स्वामियोंएवं स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

स्थिति–प्रश्नगत स्थलजनपद बागेश्वर, जिला मुख्यालय से लगभग 30 किमी0 की दूरी पर काण्डा पडाव–भाकडपंत मोटर मार्ग पर हिल साईड में अवस्थित है।

स्थल 01–**हेम चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री प्रयाग दत्त**–आवासीय भवन की बाहर की दीवार पर दरारें है, भवन के अन्दर कमरे में लगभग 01 सेमी0 चौडी तथा 06 मी0 लम्बी दरार है, जोफर्श से दीवार तक जा रही है। किचन के फर्श पर दरारें व गीली अवस्था में है। भवन के दूसरे कमरेके दरवाजे खोलने–बन्द करने में अटकरहे है। फर्श तथा दीवारों पर हल्की दरारें है। आंगन में चाहर दीवारी की ओर हल्का धंसाव है। परिवार भवन में निवास कर रहा है। निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया की भवन लगभग 95 वर्ष पुराना है जिसमें वर्ष 2016 से दरारें आना शुरू हो गयी थी।

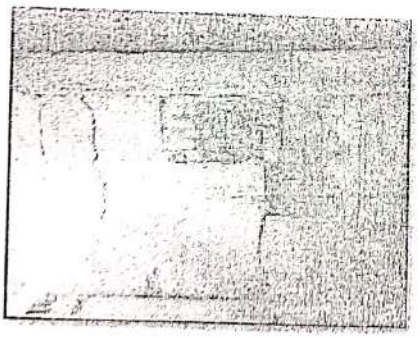

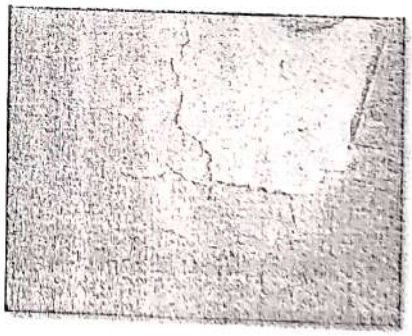

Scanned with OKEN Scanner

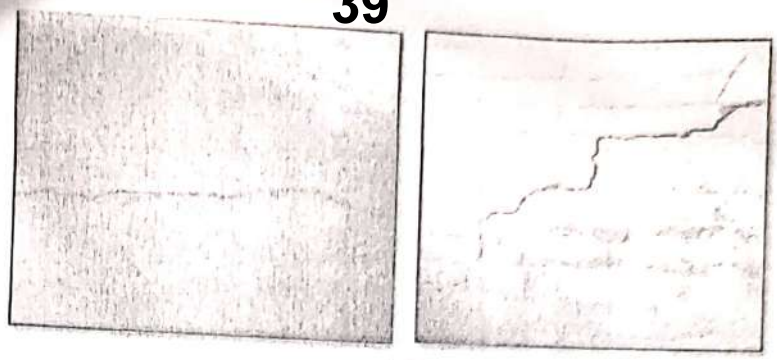

स्थल के चित्र

महेश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल–आवासीय भवन की बाहर तथा अन्दर की दीवारों पर अनवरत दरारें है, कमरें के दरवाजे तिरछे हो गये है। परिवार अन्यत्र निवास कर रहा है।आंगन में बायी ओर हल्का धंसाव है। निरीक्षण के दौरान हेम चन्द्र काण्डपाल द्वारा अवगत कराया गया कि भवन लगभग 05 वर्ष पुराना है।

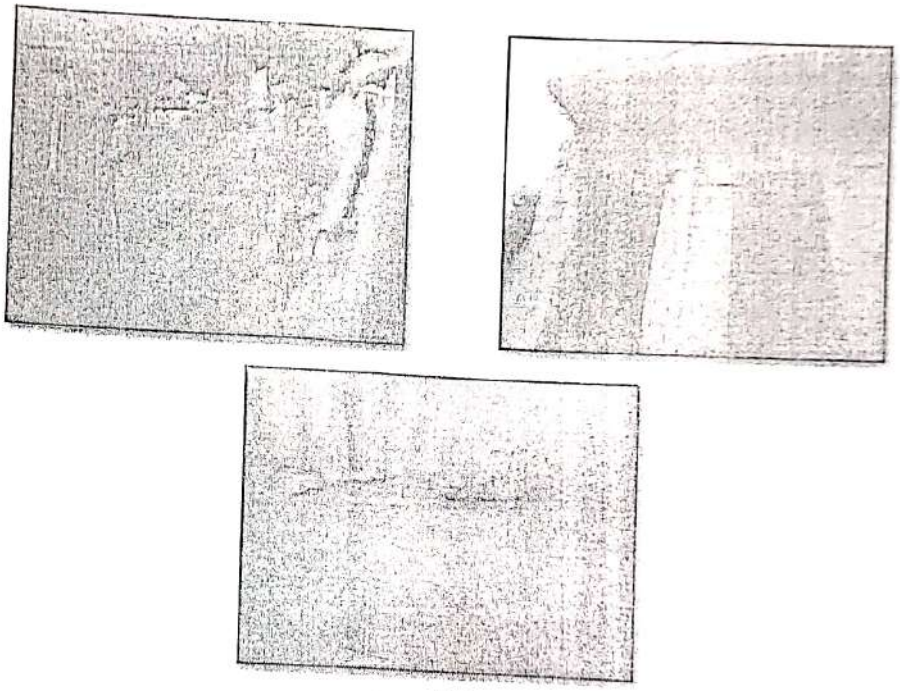

स्थल के चित्र

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि आवासीय भवनों के पीछे ढालदार भूभाग के अपस्लोप से पानी भवनों की ओर प्रवाहित होता है एवं वर्षा में अत्यधिक मात्रा में पानी आता है। वर्तमान में भवनों के पीछे नाली है जिसमें पानी प्रवाहित हो रहा है तथा आवासीय भवनों के बायें किनारें पानी प्रवाहित है। भवनों के पीछे ढालदार भूभाग जल प्रवाह क्षेत्र प्रतीत होता है। स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 110 मी0 है।

स्थल समुद्र तल से लगभग 1640 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है:–

उत्तर 29° 49' 42.2" अक्षांश

पूरब 79° 53'31.3" देशान्तर

Scanned with OKEN Scanner

स्थल 02–साधू राम पुत्र श्री तिल राम–आवासीय भवन की बाहर व अन्दर की दीवार पर हल्की दरारें है जिनकी मरम्मत की गई है।आंगन के फर्श में चाहर दीवारीकी ओरदरारें है तथा हल्का धंसाव है। परिवार भवन मे निवास कर रहा है। निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि भवन लगभग 12 वर्ष पुराना है। शौचालय में हल्की दरारें है। अवगत कराया गया है कि 08/08/2024 को अतिवृष्टि से आंगन से लगभग 15 मी0 की दूरी पर नीचे की ओर खेत धंस गये है, वर्तमान में यह पौधों तथा घास से ढका है।स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 30 मी0 है।

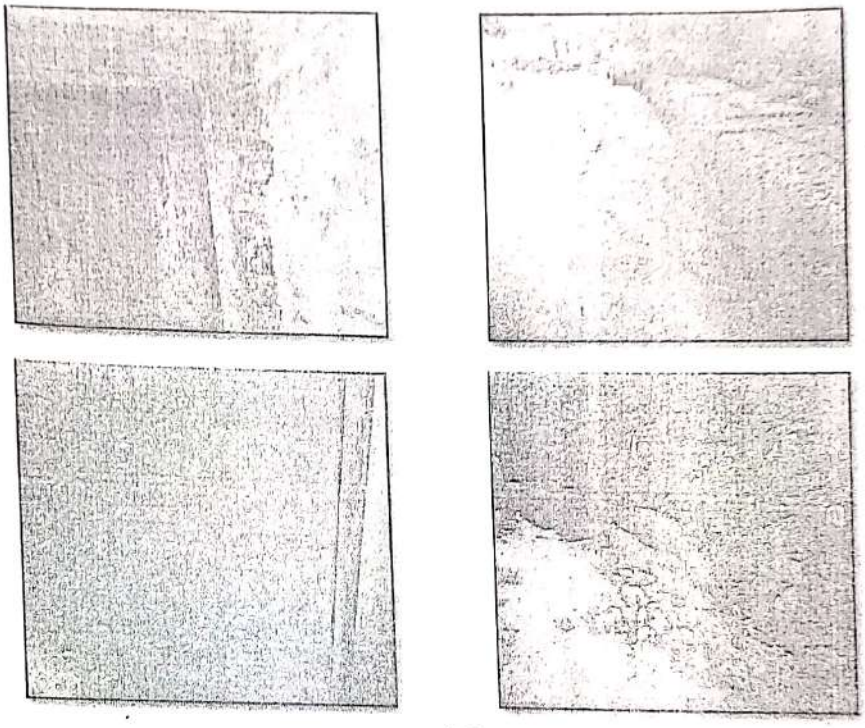

स्थल के चित्र

स्थल समुद्र तल से लगभग 1630 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है:–

उत्तर 29° 49' 38.8" अक्षांश

पूरब 79° 53'32.2" देशान्तर

स्थल 03–किशन राम पुत्र श्री दौलत राम, पूरन राम पुत्र श्री दौलत राम, प्रेम राम पुत्र श्री दौलत राम– आवासीय भवन की बाहर की दीवार पर हल्की दरार है। आंगन में हल्का धंसाव व हल्की दरार है। आंगन के बाये किनारें पर हल्का धंसाव हो रहा है।परिवार भवन में निवास कर रहें है। निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया की भवन लगभग 25–30 वर्ष पुराना है। भवन से लगभग 20मी0 की दूरी पर मोटर मार्ग है। स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 25–30 मी0 है।

Scanned with OKEN Scanner

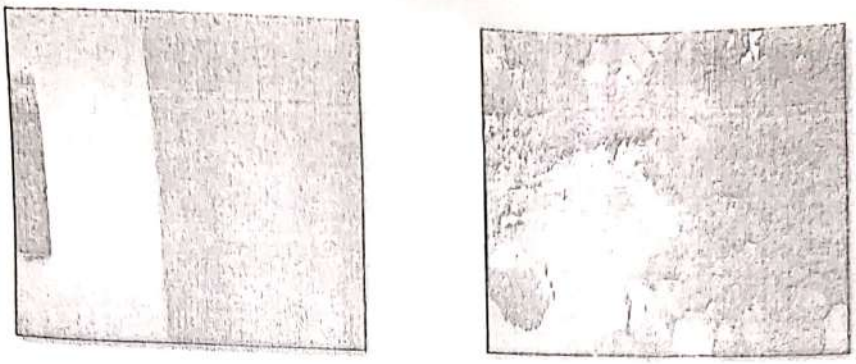

स्थल के चित्र

स्थल समुद्र तल से लगभग 1630 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित हैः–

उत्तर 29° 49' 39.2" अक्षांश

पूरब 79° 53'32.4" देशान्तर

स्थल 04–हरीश राम पुत्र श्री कुवर राम–आवासीय भवन के बाहर किनारे की दीवार पर हल्की दरार है। परिवार भवन में निवास कर रहा है। निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि भवन लगभग 30 वर्ष पुराना है। स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 45 मी0 है।

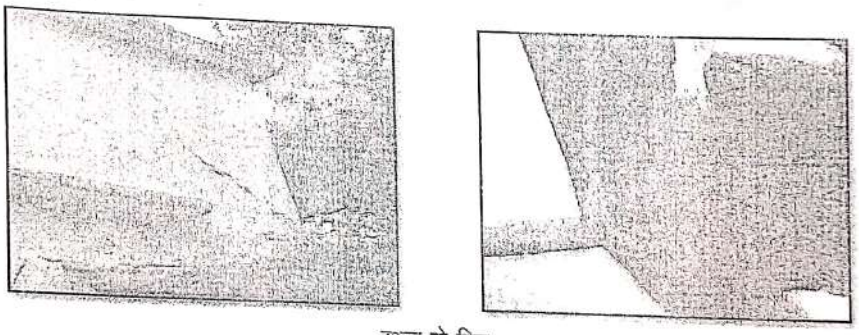

स्थल के चित्र

स्थल समुद्र तल से लगभग 1640 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित हैः–

उत्तर 29° 49' 39.1" अक्षांश

पूरब 79° 53'31.2" देशान्तर

स्थल 05–दिनेश वर्मा पुत्र श्री गिरीश लाल वर्मा–निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया किभवन/दुकानके पीछे उत्तर–पूरब दिशा में लगभग 30 मी0 की दूरी पर धंसाव हो रहा है, वर्तमान में यह क्षेत्र घास तथा पौधों से ढका है। स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 50–60 मी0 उत्तर–पूरब दिशा में है।

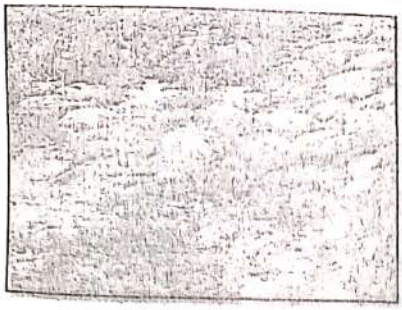
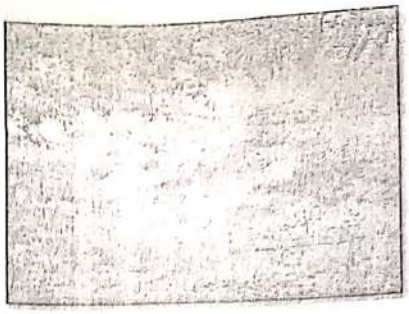

स्थल के चित्र

स्थल समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है:–

उत्तर 29° 49' 32.6" अक्षांश

पूरब 79° 53'29.7" देशान्तर

स्थल 06–**जोगा राम पुत्र श्री लछम राम**–निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया की भवन के अन्दर कमरे में दरार थी जिनकी मरम्मत की गई है।भवन के किचन में सीलन है। शौचालय में हल्की दरारें है।गौशाला की बाहर तथा अन्दर की दीवारों परदरारें है। परिवार भवन में निवास कर रहा है। निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया की भवन लगभग 12 वर्ष पुराना है। आवास से लगभग 20–25 मी0 दूरी पर दक्षिण–पूरब दिशा में प्राकृतिक जल स्रोत तथा मोटर मार्ग है। अवगत कराया गया है कि जल स्रोत में वर्ष भर पानी रहता है। स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 50–60 मी0 है।

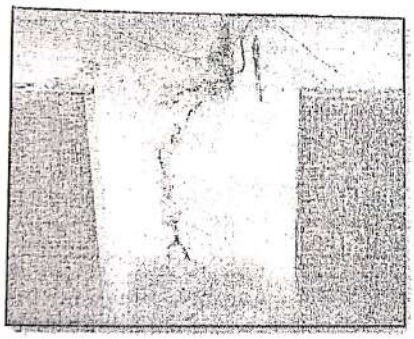
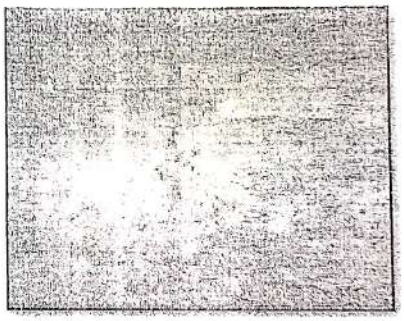

स्थल के चित्र

स्थल समुद्र तल से लगभग 1630 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है:–

उत्तर 29° 49' 41.9" अक्षांश

पूरब 79° 53'33.3" देशान्तर

क्षेत्रीय एवं स्थानीय भूगर्भीय संरचना–

जनपद बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः लेसर हिमालय और मध्य हिमालय में अवस्थित चट्टानों की उत्पत्ति से निर्मित है। क्षेत्र में उत्पत्ति कई चक्रों में हुई विभिन्न टैक्टोनिक मूवमैन्ट के कारण क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना अत्यधिक जटिलता लिये हुए है। जनपद बागेश्वर में विभिन्न स्थानान्तर्गत Current Bedded Quartzite, Micatalc Schist, Limestone, Conglomerate, Slate, Quartzite,

Scanned with OKEN Scanner

का उत्तरी भाग जो अधिकांशतः हिमाच्छादित है, कायान्तरित चट्टानों से निर्मित है जो कि मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय जोन का सेन्ट्रल किस्टलाइन भाग थ्रस्ट की तरह प्रदर्शित है जो कि विभिन्न टैक्टोनिक सैटिंग अवधियों के दौरान लेसर हिमालय जोन की MetasedimentaryएवंSedimentary चट्टानों के ऊपर अवस्थित है। सेन्ट्रल क्रिस्टलाईन जोन में मुख्यतः मिग्मेटाइट, माइका नाइस, कैल्क नाइस, क्वार्टजाईट, मार्बल, माइका शिस्ट तथा एम्फीबोलाईट चट्टानें पायी जाती हैं। जनपद बागेश्वर का अधिकांश भाग Geotectonic Zone के अन्तर्गत आता है जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है। लेसर हिमालय के अन्तर्गत मुख्यतः अवसादी शैल, मेटा अवसादी शैल, अन्तः संस्तरीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जहां भू–संरचनात्मक रूप से क्रमशः बेरीनाग एवं मुनस्यारी थ्रस्ट क्षेत्र के अन्तर्गत पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तारित है।

पूर्व में भू–वैज्ञानिकों द्वारा किये गये भूगर्भीय अध्ययनों के अनुसार क्षेत्र का लिथोयूनिट निम्नवत् हैः–

अल्मोड़ा समूह — मुनस्यारी फोरमेशन

~~~~~~~~~~~~~~~~मुनस्यारी थ्रस्ट~~~~~~~~~~~~~~~~

जौनसार समूह — बेरीनाग फोरमेशन

~~~~~~~~~~~~~~~~बेरीनाग थ्रस्ट~~~~~~~~~~~~~~~~

तेजम समूह — मन्धाली फोरमेशन

गंगोलीहाट फोरमेशन

दामथा समूह — रोथगढ़ फोरमेशन

प्रश्नगत स्थल लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के विकसित सोपानों के मध्य तेजम समूह के देवबन गंगोलीहाट फोरमेशन,मन्धाली फोरमेशन के मध्य अवस्थित है। स्थल एवं आसपास का क्षेत्र मृदा के आवरण से ढका है। स्थल एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों में सतह पर भूरे रंग की महीन एवं मोटे कणों वाली मृदा के साथ चट्टानों के छोटे कोणीय टुकड़ों के मिश्रण का आवरण है। प्रश्नगत स्थल डोलोमिटिक लाइमस्टोन, टॉल्क प्रकार की चट्टानों के अन्तर्गत आता है।

<u>भूधंसाव/दरारों के सम्भावित कारणः–</u>

प्रश्नगत स्थल काण्डा पड़ाव,ग्राम काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा में निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के अनुसार क्षेत्र में होने वाले भूधंसाव/दरारों के सम्भावित कारण निम्नलिखित हैः–

1. भवनों के निर्माण में अभियान्त्रिकी/संरचनात्मक कमियॉ पायी गयी, जैसे– अधिकांश भवनों में बीम एवं कॉलम का अभाव आदि।
2. प्रश्नगत स्थलों के अन्तर्गत जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नही पायी गयी। वर्षा जल तथा आवासीय भवनो में प्रयुक्त होने वाले जल को अनियन्त्रित रूप से प्रवाहित किया जा रहा है जो स्थल की भूसतह को जल संतृप्त कर कमजोर कर रहा है।
3. प्रश्नगत स्थलों के अन्तर्गत डोलोमाईट, लाईम स्टोन, टॉल्क प्रकृति की कमजोर चट्टानें अवलोकित की गयी हैं, जो जल के सम्पर्क में आकर शीघ्र अपक्षयित होती है।
4. प्रश्नगत स्थलों पर भूसतह पर स्वस्थाने चट्टाने दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

<u>सूझावः–</u>

Scanned with OKEN Scanner

1. स्थल 01,02,03,04 पर स्थित आवासीय भवन के ऑगन के नीचे सीढीनुमा खेतों में निर्धारित स्तरों पर उपयुक्त रूप से डिजाईन की गयी सुरक्षा दीवार/गैबियन दीवार का निर्माण किया जाना होगा।
2. स्थल 05 पर स्थित भवन/दुकान के पीछे उत्तर–पूरब दिशा में उपयुक्त निर्धारित स्तरों पर उपयुक्त रूप से डिजाईन की गयी सुरक्षा दीवार/गैबियन दीवार का निर्माण किया जाना होगा।
3. भवनों की दरारें को उपयुक्त फिलिंग मटीरियल द्वारा भर कर मरम्मत की जानी होगी।
4. उपरोक्त प्रश्नगत स्थलों पर जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था की जानी होगी।
5. उपरोक्त प्रश्नगत स्थलों पर भूस्खलन को रोकने वाली घास/पौधों का रोपड़ किया जाना होगा।

निष्कर्ष–

प्रश्नगत स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उपरोक्त सुझावों की पालनां की जानी होगी अन्यथा प्रश्नगत स्थलों को भविष्य मे खतरा उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है तथा स्थल 01 के 02 परिवारों,हेम चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री प्रयाग दत्त एवं महेश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र काण्डपालको अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचितप्रतीत होगा।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा वर्तमान में असंचालित है।

एन0के0 जोशी
अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0
बागेश्वर।

निरज कुमार
कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0 बागेश्वर।

सुनील दत्त
सहायक भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं
खनिकर्म विभाग,जनपद बागेश्वर।

जिज्ञासा बिष्ट
प्रभारी जिला खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद बागेश्वर।

रितु गोस्वामी
तहसीलदार काण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय जिलाधिकारी बागेश्वर
1134 दिनांक 27/11/24

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 872 /भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25, दिनांक: 26/11/2024

सेवा में,

OC/MC
&
DC
27/11/2024

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः– **Original Application No. 1115/2024 (News Item titled " Rampant Mining causes Joshimath – like crisis in Uttarakhand's Bageshwar appearing in India Today dated:14.08.2024)**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्याः 38/30–खनन–मा0अधि0सं0/2024 दिनांक 24.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मूल आवेदान संख्या 1115/2024 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण के समक्ष मामले की सुनवाई हेतु नियत अग्रिम तिथि दिनांक 11 दिसम्बर 2024 से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रस्युत्तर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, महोदय बागेश्वर कार्यालय पत्र संख्या 174/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 10.12.2023 के अनुपालन में उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 667/भू0खनि0ई0/ जन0बागे0/ 2022–23, दिनांक 09.01.2023 के क्रम में तहसील काण्डा अन्तर्गत काण्डकन्याल चक बखतिया, रा0उ0नि0 क्षेत्र बजीना, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर अन्तर्गत श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में सोपस्टोन खनन पट्टा स्वीकृत है। प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 28.12.2022 को किया गया तथा निरीक्षण के दौरान मंदिर के आस–पास कोई भी भूधंसाव/दरारें आदि नहीं पायी गयी। मंदिर तथा खनन क्षेत्र के मध्य आवासीय भवन एवं कृषि भूमि स्थित है जिसमें कोई भूधंसाव आदि नही पाया गया। जिलाधिकारी, महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 532/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 13.03.2023 के अनुपालन में प्राविधिक सहायक भूविज्ञान भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 832 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार श्री नरेश राम के आवसीय भवन में दरारों के अध्ययन से पाया गया कि उक्त दरारें पुराने समय से ही विद्यमान होती है परन्तु श्री साधु राम एवं घनश्याम के भवनों में आयी दरार खनन से ही उत्पन्न हुयी होती है। चुकी दरारों के आने के कारण इनके आगन के आगे का पुस्ता पूर्व दिशा की ओर झुग गया है इस कारण इस पर त्वरित सुरक्षात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है श्री हरीश राम के भवन में आयी दरारों का कारण भी खनन कार्य प्रतीत नही होता है चुकी भी हरीश राम का भवन उचित दूरी पर होने के साथ–साथ चट्टानी भू–भाग पर अवस्थित है जिस कारण उक्त आवसीय भवन में खनन के द्वारा दरार आना सम्भव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मंदिर को जाने वाले मार्ग में आयी मोटी दरारों से भू–धसाव होने की स्थिति बनती है सिमेन्टेट रोड़ में विद्यमान दरारों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पूर्व में मार्ग में आयी दरारों को भरे जाने के उपाय प्रयाप्त नहीं है इस कारण निकट भविष्य में भू–धसाव को रोकने के लिये कडे एवं सूरक्षात्मक कदम लिये जाने की आवश्यकता है। गैस गोदाम में वर्तमान में कोई दरार नही पायी गयी। वॉट्सएप के माध्यम से प्रेषित पत्र श्री सोहन सिंह माजिला जो कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है पर अपर सचिव के टिप्पणी संख्या 71 दिनांक 05.04.2023 के क्रम में प्राविधिक सहायक भूविज्ञान भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर के पत्र संख्या 02/भू0खनि0ई0बागे0/भू0वि0/2022–23, दिनांक 06.04.2023 के द्वारा भूगर्भीय जांच आख्या से अवगत कराया गया है कि तत्काल प्रभाव से कुछ सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होने जिसके अन्तर्गत प्रथमतयाः खनन क्षेत्र के पश्चिम भाग (वह भाग जो कालिका माता मन्दिर से सुनारगांव को जाने वाले मार्ग के समरेखण में अवस्थित है) में सीढीदार सुरक्षात्मक पक्की बेंच (जिसका सामान्य ढलान 45^0 का होना चाहिये) बनाये जाने के अतिरिक्त खनन कार्य से पृथक–पृथक स्थानों पर आयी दरारों को भरे जाना होगा एवं निकट भविष्य में खनन कार्य से इन दरारों में किसी प्रकार का आंकलन करने के लिये इन दरारों की लगातार निगरानी किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक सुरक्षात्मक उपाय न कर लिये जायें

Scanned with OKEN Scanner

तब तक खनन क्षेत्र के ऊपरी भाग (जो कि मंदिर मार्ग से सटा हुआ है) में खनन कार्य के लिये किसी प्रकार की मशीन उपयोग में न लाये जायी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय आदेश संख्या 614/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 12.04.2023 से निर्देशित किया गया कि "खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग (वह भाग जो कालिका माता मन्दिर से सुनारगांव को जाने वाले मार्ग के समरेखण में अवस्थित है) में सीढ़ीदार सुरक्षात्मक पक्की बेंच (जिसका सामान्य ढलान 45^0 का होना चाहिये) बनाये जाने के अतिरिक्त खनन कार्य से पृथक–पृथक स्थानों पर आयी दरारों को भरे जाने की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ऊपरी भाग (जो कि मन्दिर मार्ग से सटा हुआ है) में खनन कार्य के लिए सभी प्रकार की मशीनों के उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है। जिलाधिकारी के कार्यालय आदेश 12.06.2023 को सभी पट्टाधारक दिनांक 16.06.2023 तक खनन कार्य से बने गढ्ढों को समतल कर भूस्खलन आदि के बचाव के लिये क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चत करगें। निरीक्षण आख्या राजस्व विभाग एवं प्राविधिक सहायक भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर द्वारा खनन पिटों को पूर्णतया समतलीकरण न करना दरारों का भरान न करना जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना पट्टाधारक की लापरवाही को प्रदशित करता है जिस कारण पट्टाधारक के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानो के तहत कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट को नोटिस प्रेषित किया गया जिसमें संयुक्त निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण पट्टाधारक द्वारा नहीं कर लिया जाता है तब तक खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य पर रोक लगायी जाती है। जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र सख्यां 1137/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 31.07.2023 के क्रम दिनांक 01.08.2023 को राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान खनन पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से बने गढ्ढों का समतलीकरण कर भूस्खलन आदि के बचाव के लिये आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण करने के निर्देश निर्गत किये गये है का अनुपालन नही किया गया है पट्टाधारक द्वारा खनन उपरान्त मलवे का निस्तारण न करना खनन पिटो का पूर्णत समतलीकरण न करना व दरारों का भरान न करना एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये निर्देशों का अनुपालन न करना पट्टाधारक की लापरवाही प्रदर्शित करता है जिस कारण पट्टाधारक के विरूद्व सुसंगत प्राविधानो के तहत कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। उपजिलाधिकारी काण्डा के पत्र संख्या 202/पी0ए0–विविध/2023–24 दिनांक 02.09.2024 के क्रम में राजस्व विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पी0डब्लू0डी0 बागेश्वर एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर के द्वारा संयुक्त जांच प्रेषित की गयी जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा वर्तमान में असंचालित है (संलग्नक)। संयुक्त जांच आख्या के अनुसार भूधसाव दरारों के संभावित कारण निम्नवत् है:–

1. भवनों के निर्माण में अभियान्त्रिकी/संरचनात्मक कमियाँ पाई गयी जैसे अधिकांश भवनों में बीम एवं कॉलम का आभाव आदि।
2. प्रश्नगत अन्तर्गत जल निकासी की प्रयाप्त व्यवस्था नही पायी गयी वर्ष जल तथा आवासीय भवनों में प्रयुक्त होने वाली जल को अनियन्त्रित रूप प्रवाहित किया जा रहा है जो स्थल की भू सतह को जल संतृप्त कर कमजोर कर रहा है
3. प्रश्नगत स्थलों के अन्तर्गत डोलोमाईट लाईम स्टोन टॉल्क प्रकृति की कमजोर चट्टानें अवलोकित की गयी है जो जल के सम्पर्क में आकर शीघ्र अपक्षयित होती है।
4. प्रश्नगत स्थलों पर भू सतह पर स्वस्थाने चट्टानें दृष्टिगोचित नही होती है।

उक्त प्रकरण में Geological Survey of India की रिपोर्ट निम्नवत् है:–

The GSI team, accompanied by Sh. Anurag Aarya, SDM, Smt. Ritu Goswami, Naib Tehsildar, and other local authorities, visited Kanda Kaniyal village The Tehsil administration prioritized the investigation of cracks in two residential houses and the Kalika Temple. The location of these investigated sites in Kanda Kaniyal village is shown in Fig. 2. The observations and suggestions for individual site are discussed below:

House-1: During the field inspection, multiple cracks were observed in the walls and floor of the house at coordinates N 29°49'42.01", E 79°53'31.48" but no ground crack were found. The house is located in a natural depression, with water seepage observed about 30 meters upslope. The development of cracks is mainly due to its location, which acts as a

Scanned with OKEN Scanner

conduit for subsurface water, as indicated by seasonal springs and seepage.) Although a channel was built to manage the seepage, its lining is damaged, causing water to flow underneath the house This water movement saturates the slope material beneath, gradually leading to ground settlement. While the house is situated in an unsuitable area. the primary cause of cracks in the house is due to gradual piping action (removal of fines) controlled by water seepage. The suitable remedial measures are given under conclusion and recommendations heading.

House-2: During the field inspection, a linear crack was observed near the outer boundary of the house porch at coordinates N 29°49'38.79", E 79°53'32.04" (Fig. 4). No cracks were found in the walls or ceiling of the house. The cracks at the outer edge of the porch are likely due to the defacing of a steep bench created downslope. The concrete slab is not provided with any reinforcement and it is usual to develop such cracks in outer part. These cracks are not related to the open cast mine soapstone mine, which is situated about 70 meters south of the house.

Kalika Temple: The temple is located at coordinates N 29°49'31.72", E 79°53'29.53" on a small ridge trending NW-SE, approximately 40 meters southwest of the open-cast mine A curvilinear minor crack was observed on the floor of temple complex, measuring 2mm- 5mm in width and extending 2-3 meters in length. The steep cutting for road construction has been observed just below the floor where cracks are developed. These cracks in the floor of temple primafacie appear to result from defacing of slope. However, several cracks have been reported in two houses situated on the slope below the temple complex. The cracking patterns on the northern slope of the temple and the houses below are similar, oriented in a NW-SE direction with the open face toward the NE. These cracks prima facie appear to result from defacing of slope but the role of open cast soapstone mine cannot be simply denied as the timeline of cracks with reference to mine development can put proper light on the issue. At present, the excavated part has been backfilled with waste material, due to which the steepness of the excavated slope could not be observed.

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खनि अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश।

अपर उप निरीक्षक/विवेचक श्री पदम सिंह, थाना काण्डा, जनपद बागेश्वर द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.10.2024 जिसे थानाध्यक्ष काण्डा द्वारा दिनांक 03.10.2024 एंव पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा दिनांक 05.10.2024 को अग्रसारित किया गया है, से एफ0आई0आर0 नं0– 27/2023 धारा 4(क)(2)/21 खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 बनाम इन्द्राज सिंह पुत्र चरण सिंह में विवेचना धारा 4क(2)/21 खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुरूप मा0 न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की अनुमति चाही गई है। प्रकरण की महत्ता को देखते हुए अ0उ0नि0/विवेचक श्री पदम सिंह, थाना काण्डा की आख्या दिनांक 03.10.2024 पर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, बागेश्वर की आख्या दिनांक 14.10.2024 को संज्ञान में लेने के पश्चात् मैं, आशीष कुमार भटगांई, जिला मजिस्ट्रेट, बागेश्वर खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4क(2)/21 के अन्तर्गत मुकदमें में मा0 न्यायालय में परिवाद दाखिल किये जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

अतः विधि के अन्तर्गत नियत व्यवस्था के तहत अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक–18/10/2024

(आशीष कुमार भटगांई),
जिला मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

संख्या 89/बीस–114/जे0ए0–अनुमति/(2013–14)/2024 दिनांक21/10/2024

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर।
2– संबंधित विवेचक/थानाध्यक्ष काण्डा, जनपद बागेश्वर।
3– कार्यालय प्रति।

(आशीष कुमार भटगांई),
जिला मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

वसूली प्रमाण पत्र

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

कलेक्टर,
नैनीताल।

संख्याः- 594/तीस–खनन/2024–25 दिनांक 24/5/2024

महोदय,

श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह, पट्टाधारक सोपस्टोन माइन ग्राम काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर निवासी **स्यनूरी सदन, ए–3 जज फार्म, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल** उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम 59 के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रूपया मात्र) के भुगतान करने के देनदार हैं। बकायेदार वर्तमान समय में उल्लिखित पते पर निवासरत हैं। बकायेदार उपरोक्त की चल/अचल सम्पत्ति जनपद नैनीताल में स्थित है। उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड लोकधन (देयों की वसूली) अध्यादेश 1972 के अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त धनराशि वसूल होने योग्य है तथा धनराशि मालगुजारी के बकाया या प्रादभूत भी हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भॉति कर वसूल की गयी धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में लेखाशीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग, 102–खनिजों रायल्टी शुल्क एवं स्वत्व शुल्क, 01–खनिज रियायती एवं स्वत्व शुल्क में जमा करते हुए चालान की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(अनुराधा प्राल)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

50

आदेश

जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के ग्राम काण्डेकन्याल अंतर्गत संचालित सोपस्टोन माइन में खनन कार्य से आवासीय मकानों को काफी खतरा होने के साथ–साथ भूस्खलन होने की शिकायतें संज्ञान में आने पर उपजिलाधिकारी,काण्डा द्वारा पत्र संख्या–456/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 01 अगस्त, 2023 से उपलब्ध करायी संयुक्त निरीक्षण आख्या/संस्तुति के आधार पर श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा,जनपद बागेश्वर द्वारा खनन क्षेत्र में बरती जा रही अनियमितता/लापरवाही तथा खनन शर्तों का अनुपालन न करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के दृष्टिगत कार्यालय नोटिस संख्या–1164/तीस–खनन–नो0/2022–23 दिनांक 08.08.2023 से पट्टाधारक पर उत्तराखण्ड उप–खनिज(परिहार)नियमावली–2023 के नियम–59 के अंतर्गत रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए धनराशि नोटिस प्राप्ति के एक पक्ष के भीतर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त नोटिस की तामीली के संबंध में तहसीलदार,काण्डा द्वारा पत्र संख्या–33/रा0ले0–खनन/2022–23 दिनांक 03 फरवरी, 2024 से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार नोटिस माइन संचालक श्री इन्द्रजीत भाटी के वट्सैप नं0–9910906899 एवं श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे माइन संचालक के व्हटसैप नं0–7836080703 पर भेज दिया गया है। उक्त दोनों संचालक वर्षाकाल पूर्व से ही माइन बंद होने के कारण क्षेत्रान्तर्गत नहीं है तथा दूरभाष से उपरोक्त व्यक्तियों से संपर्क करने पर उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त नोटिस दिनांक 08.08.2023 पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 31.01.2024 को पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट को प्रेषित किया गया है, जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली में अभिरक्षित है।

समस्त स्रोतों से ऐसा विदित हो रहा है कि पट्टाधारक जान–बूझकर दिनांक 08.08.2023 को जारी नोटिस लेने से मुकर रहे हैं तथा अर्थदण्ड की धनराशि को अदा करने से बच रहे हैं।

अतः उक्त नोटिस दिनांक 08.08.2023 के क्रम में उत्तराखण्ड उप–खनिज(परिहार)नियमावली–2023 के नियम–59 के अंतर्गत पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट सोपस्टोन माइन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा,जनपद बागेश्वर पर रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि वह अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू0 2.00 लाख आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि जमा न करने की दशा में धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जब तक संयुक्त निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण पट्टाधारक द्वारा नहीं कर लिया जाता तब तक खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य पर रोक यथावत् रहेगी।

दिनांक 28.02.2024

ह0/–
(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्याः 418 /तीस–खनन/2023–24 दिनांक 1 / 3 / 2024

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपजिलाधिकारी,काण्डा।
2. जिला खान अधिकारी,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,बागेश्वर।
3. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह पट्टाधारक सोपस्टोन माइन ग्राम काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा,जनपद बागेश्वर(**निवासी स्यूनरी सदन, ए–3 जज फार्म, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल**)
4. तहसीलदार, हल्द्वानी जनपद नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट निवासी उपरोक्त पर तामील करवाने उपरांत उनके सतिथि हस्ताक्षर लेते हुए अपनी तामीली रिपोर्ट अविलंब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. तहसीलदार,काण्डा को भी इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से भी संबंधित पट्टाधारक/अधिकृत प्रतिनिधि पर तामील कराने उपरांत उनके सतिथि हस्ताक्षर लेते हुए अपनी तामीली रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

OC/MCS

कार्यालय तहसीलदार काण्डा, जनपद बागेश्वर।

सख्या 33 /रा0ले0–खनन /2022–23 काण्डा, दिनांक 03 जनवरी 2024 फरवरी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बागेश्वर।

विषय : ग्राम काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा में संचालित खनन पट्टे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–263 / तीस–खनन / 2023–024 दिनांक 08.01.2024 का संदर्भ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह विष्ट, पट्टाधारक सोप स्टोन माइन्स, तहसील काण्डा जिला बागेश्वर पर अधिरोपित अर्थदण्ड धनराशि रू0 2.00 लाख का नोटिस तामीली के निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उक्त नोटिस पट्टाधारक पर तामीली हेतु क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक बजीना को निर्देशित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक बजीना द्वारा प्रस्तुत आख्या जो मूल में संलग्न है, के अनुसार माइन संचालक श्री इन्द्रजीत भाटी के व्हटसैप नं0–9910906899 एंव श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे माइन संचालक के व्हटसैप नम्बर–7836080703 पर भेज दिया गया है। उक्त दोनों संचालक वर्षाकाल पूर्व से ही माइन बन्द होने के कारण क्षेत्रान्तर्गत नहीं है, जिस कारण नोटिस की तामीली प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाई है। अपनी आख्या में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि दूरभाष से उपरोक्त व्यक्तियों से सम्पर्क करने पर इनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्ति यह भी अवगत कराना है कि निर्गत नोटिस पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह विष्ट उक्त को पंजीकृत डांक के माध्यम से दिनांक 31.01.2024 को प्रेषित किया गया है। प्रेषित रसीद की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

(दीपिका आर्या)

तहसीलदार काण्डा

ADC 2/2

Scanned with OKEN Scanner

समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः-1164/तीस-खनन-नो0/2022-23 दिनांक 8/8/2023

नोटिस

श्री कुलदीप सिंह बिष्ट,
पट्टाधारक सोपस्टोन माइन,ग्राम काण्डेकन्याल,
तहसील काण्डा,व जनपद बागेश्वर।

विषयः- ग्राम काण्डेकन्याल तहसील काण्डा में संचालित खनन पट्टे के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ग्राम काण्डेकन्याल अंतर्गत संचालित सोपस्टोन माइन में खनन कार्य से आवासीय मकानों को काफी खतरा होने के साथ-साथ भूस्खलन होने की शिकायतें संज्ञान में आने पर उपजिलाधिकारी,काण्डा द्वारा अपने पत्र संख्या-456/पी0ए0-विविध/2022-23 दिनांक 01 अगस्त, 2023 से उपलब्ध करायी संयुक्त निरीक्षण आख्या में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01 08.2023 को क्षेत्रान्तर्गत स्थित आपके पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन माइन काण्डेकन्याल का तहसीलदार काण्डा की उपस्थिति में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया ।

दौराने निरीक्षण पाया गया कि काण्डा पड़ाव से सुनारगॉव को जाने वाले पैदल मार्ग में दरारें आई हैं तथा पैदल मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से वर्तमान में आवाजाही योग्य नहीं रह गया है। आप द्वारा खनन उपरांत खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न किये जाने,नियमित रूप से सीढ़ीनुमा खेत न बनाये जाने एवं मलुवे का निस्तारण न किये जाने के कारण मलुवे का रिसाव आबादी की ओर हो गया है। जिससे श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री नन्दन राम एवं श्री नरेश राम पुत्र स्व0 श्री हरीश राम के आवासीय भवनों के पीछे मलुवा आ जाने से आवासीय भवनों को आंशिक क्षति हुई है। यथाशीघ्र मलुवे का निस्तारण नहीं किया गया तो भविष्य में उक्त भवनों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिवारों को पंचायत घर में स्थानान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त माइंस क्षेत्र के मलुवे के रिसाव के कारण काण्डा-भाकड़पंत मोटर मार्ग में निर्मित कलमठ बंद हो गया है,जिससे पानी पूर्णतः मोटर मार्ग में फैल रहा है। इसी प्रकार उक्त माईन के निचले भाग में गैस गोदाम के निकट स्थित खनन पिट में भी पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया और ना ही सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये हैं,जिससे निकट भविष्य में गैस गोदाम को भी खतरे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मौके पर उपस्थित पट्टाधारक प्रतिनिधि को मलुवा हटाने,क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत करने एवं आवासीय भवनों के सुरक्षात्मक उपाय करने के संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करने तथा अतिरिक्त भण्डारित मलुवे को हटाने के उपरांत मलुवे को स्तरों में विकसित करने,स्थल पर मौजूद दरारों को भरे जाने एवं व्यवस्थित रूप से पानी की निकासी करने के निर्देश दिये गये। मौके पर उपस्थित पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा लिखित में पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त दोनों परिवारों को वर्षाकाल में किराये के भवन में रहने हेतु प्रति परिवार रू0 4,000(चार हजार मात्र)प्रतिमाह देने की सहमति व्यक्त की गई। उक्त माइन्स क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षणों एवं तदक्रम में कार्यालय आदेश संख्या-819/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 1.06.2023 एवं आदेश संख्या-849/तीस-खनन-स्थ0 आ0/2014-15(2022-23)दिनांक 12.06.2023 जिसके द्वारा खनन कार्य से बने गड्ढों का समतलीकरण कर भू-स्खलन आदि के बचाव के लिए आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण करने के निर्देश निर्गत किये गये,,का अनुपालन भी नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि खनन उपरांत मलुवे का निस्तारण न करना,खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न करना,दरारों का भरान न करना एवं जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना पट्टाधारक की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतः पट्टाधारक के विरूद्व सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

कार्यालय आदेश संख्या-849/तीस-35/खनन-स्थ0आ0/2014-15(2022-23)दिनांक 12.06.2023 से निर्गत निर्देशों का भी आपके स्तर से कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः उपजिलाधिकारी, काण्डा से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या/संस्तुति के आधार पर आप द्वारा खनन क्षेत्र में बरती जा रही अनियमितता/लापरवाही तथा खनन शर्तों का अनुपालन न करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज(परिहार)नियमावली-2023 के नियम-59 के अंतर्गत आप पर रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अर्थदण्ड की धनराशि नोटिस प्राप्ति के <u>एक पक्ष के भीतर</u> निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि जमा न करने की दशा में धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भॉति की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जब तक संयुक्त निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण आपके द्वारा नहीं कर लिया जाता तब तक खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य पर रोक लगायी जाती है। नोटिस जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 03.08.2023 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(आर0 के0 आर्य)
प्रभारी अधिकारी,खनन,
कृते,जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि निम्नांकितों को उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

—2

Scanned with OKEN Scanner

2. उपजिलाधिकारी,काण्डा।
3. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर ।
4. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी,जिला कार्यालय को जिलाधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. भूवैज्ञानिक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।
6. तहसीलदार,काण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र की एक प्रति पट्टाधारक/अधिकृत प्रतिनिधि पर तत्काल तामील कराने उपरांत उनके सतिथि हस्ताक्षर लेते हुए तामीली रिपोर्ट अविलंब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अ0र0 के0 आर्य)
प्रभारी अधिकारी,खनन
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः–1165 /तीस–खनन/2022–23 दिनांक 8 /8 / 2023

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद बागेश्वर।

विषयः– ग्राम काण्डेकन्याल तहसील काण्डा में संचालित खनन पट्टे के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया उपजिलाधिकारी,काण्डा द्वारा अपने पत्र संख्या–456/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 01 अगस्त, 2023 से उपलब्ध करायी संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन,काण्डेकन्याल तहसील काण्डा द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–819/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 1. 06.2023 एवं आदेश संख्या–849/तीस–खनन–स्थ0 आ0/2014–15 (2022–23)दिनांक 12.06.2023,जिसके द्वारा तक खनन कार्य से बने गड्ढों को समतल कर भूस्खलन आदि के बचाव के लिए क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे,जिसके अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा खनन उपरांत खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया है और ना ही नियमित रूप से सीढ़ीनुमा खेत बनाये जाने के साथ मलुवे का निस्तारण किया गया है। जिस कारण मलुवे का रिसाव आबादी की ओर हो गया और रिसाव से जिससे श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री नन्दन राम एवं श्री नरेश राम पुत्र स्व0 श्री हरीश राम के आवासीय भवनों के पीछे मलुवा आ जाने से आवासीय भवनों को आंशिक क्षति हुई है। साथ ही यदि समय रहते मलुवे का निस्तारण नहीं किया गया तो भविष्य में उक्त भवनों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिवारों को पंचायत घर में स्थानान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त माइंस क्षेत्र के मलुवे के रिसाव के कारण काण्डा–भाकड़पंत मोटर मार्ग में निर्मित कलमठ बंद होने से पानी पूर्णतः मोटर मार्ग में फैल रहा है। माईन के निचले भाग में स्थित गैस गोदाम के निकट स्थित खनन पिट भी पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया और ना ही सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये हैं,जिससे निकट भविष्य में गैस गोदाम को भी खतरे की पूर्ण संभावना है।

पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खनन उपरांत मलुवे का निस्तारण व खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया है और ना ही दरारों का भरान ही किया गया है,जिससे आवासीय भवनों को खतरा होने के साथ–साथ मानव जीवन को भी संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्रान्तर्गत बरती जा रही अनियमितता/लापरवाही तथा खनन शर्तों का कोई अनुपालन न करने व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 03.08.2023 के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि एतद्क्रम में पट्टाधारक के विरूद्व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित थाने में अपराध पंजीकृत किये जाने के संबंध मे अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

(आर0 के0 आर्य) 8.8.23
प्रभारी अधिकारी,खनन,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी जिला कार्यालय को जिलाधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(आर0 के0 आर्य) 8.8.23
प्रभारी अधिकारी,खनन,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः–1166 /तीस–खनन/2022–23 दिनांक 07/08/2023

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
बागेश्वर।

विषयः– ग्राम काण्डेकन्याल तहसील काण्डा में संचालित खनन पट्टे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उपजिलाधिकारी,काण्डा द्वारा अपने पत्र संख्या–456/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 01 अगस्त, 2023 से उपलब्ध करायी संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन,काण्डेकन्याल तहसील काण्डा द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–819/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 1.06.2023 एवं आदेश संख्या–849/तीस–खनन–स्थ0 आ0/2014–15 (2022–23)दिनांक 12.06.2023,जिसके द्वारा तक खनन कार्य से बने गड्ढों को समतल कर भूस्खलन आदि के बचाव के लिए क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे,जिसके अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा खनन उपरांत खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया है और ना ही नियमित रूप से सीढ़ीनुमा खेत बनाये जाने के साथ मलुवे का निस्तारण किया गया है। जिस कारण मलुवे का रिसाव आबादी की ओर हो गया और रिसाव से जिससे श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री नन्दन राम एवं श्री नरेश राम पुत्र स्व0 श्री हरीश राम के आवासीय भवनों के पीछे मलुवा आ जाने से आवासीय भवनों को आंशिक क्षति हुई है। साथ ही यदि समय रहते मलुवे का निस्तारण नहीं किया गया तो भविष्य में उक्त भवनों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिवारों को पंचायत घर में स्थानान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त माइंस क्षेत्र के मलुवे के रिसाव के कारण काण्डा–भाकड़पंत मोटर मार्ग में निर्मित कलमठ बंद होने से पानी पूर्णतः मोटर मार्ग में फैल रहा है। माईन के निचले भाग में स्थित गैस गोदाम के निकट स्थित खनन पिट भी पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया और ना ही सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये हैं,जिससे निकट भविष्य में गैस गोदाम को भी खतरे की पूर्ण संभावना है।

पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खनन उपरांत मलुवे का निस्तारण व खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया है और ना ही दरारों का भरान ही किया गया है,जिससे आवासीय भवनों को खतरा होने के साथ–साथ मानव जीवन को भी संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्रान्तर्गत बरती जा रही अनियमितता/लापरवाही तथा खनन शर्तों का कोई अनुपालन न करने व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 03.08.2023 के क्रम में अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार एतद्क्रम में पट्टाधारक के विरूद्व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किये जाने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 के0 आर्य)
प्रभारी अधिकारी खनन,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपिः–

3. अपर जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी जिला कार्यालय को जिलाधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(आर0 के0 आर्य)
प्रभारी अधिकारी खनन,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी काण्डा, जनपद बागेश्वर।

संख्या : 456 /पी0ए0- विविध/2022-23 काण्डा दिनांक 01 अगस्त 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
बागेश्वर।

विषय : ग्राम काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा में संचालित खनन पट्टे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1137/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम काण्डेकन्याल अन्तर्गत आवासीय मकानों को खतरा व भूस्खलन खनन कार्य से हो रहा है अथवा अन्य कारणों से, के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त जॉच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में आज दिनांक 01.08.2023 को क्षेत्रान्तर्गत स्थित कुलदीप सिंह बिष्ट (एस0के मिनरल्स) सोप स्टोन माइन, काण्डेकन्याल का तहसीलदार काण्डा की उपस्थिति में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या (छाया प्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि काण्डा पड़ाव से सुनारगॉव को जाने वाले पैदल मार्ग में दरारे पाई गई तथा पैदल मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होना पाया गया, जो वर्तमान में आवाजाही योग्य नहीं रह गया है। पट्टाधारक द्वारा खनन उपरान्त खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न किये जाने, नियमित रूप से सीढ़ीनुमा खेत न बनाये जाने एवं मलुवे का निस्तारण न किये जाने के कारण मलुवे का रिसाव आवादी की ओर हो गया है, जिससे श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री नन्दन राम एवं श्री नरेश राम पुत्र स्व0 श्री हरीश राम के आवासीय भवनों के पीछे मलुवा आ जाने से आवसीय भवनों को आंशिक क्षति हुई है तथा यथाशीघ्र मलुवे का निस्तारण नहीं किया गया तो भविष्य में उक्त भवनों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिवारों को पंचायत घर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त माइन्स क्षेत्र के मलुवे के रिसाव के कारण काण्डा-भाकड़पन्त मोटर मार्ग में निर्मित कलमठ बन्द हो गया है, जिससे पानी पूर्णतः मोटर मार्ग में फैल रहा है। इसी प्रकार उक्त माईन के निचले भाग में गैस गोदम के निकट स्थित खनन पिट में भी पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया और न ही सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये हैं, जिससे निकट भविष्य में गैस गोदाम को भी खतरे की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित पट्टाधारक प्रतिनिधि को मलुवा हटाने, क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत करने एवं आवासीय भवनों के सुरक्षात्मक उपाय करने के संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त भण्डारित मलुवे को हटाने के उपरान्त मलुवे को स्तरों में विकसित करने, स्थल पर मौजूद दरारों को भरे जाने एवं व्यवस्थित रूप से पानी की निकासी करने के भी निर्देश दिये गये। मौके पर उपस्थित पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा लिखित में पत्र प्रस्तुत करते हुये उक्त दोनों परिवारों को वर्षाकाल में किराये के भवन में रहने हेतु प्रति परिवार रू0 4000.00 (चार हजार मात्र) प्रतिमाह देने की सहमति व्यक्त की गई। प्रस्तुत पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त माइन्स क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षणों एवं तद्क्रम में जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय आदेश संख्या-219/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 1.06.2023 एवं आदेश सं0-849/तीस-35/खनन-स्थ0आ0/2014-15 (2022-23) दिनांक 12.06.2023 जिसके द्वारा खनन कार्य से बने गड्ढों का समतलीकरण कर भू-स्खलन आदि के बचाव के लिये आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, का अनुपालन भी नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि खनन उपरान्त मलुवे का निस्तारण न करना, खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न करना, दरारों का भरान न करना एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना पट्टाधारक की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। साथ ही पट्टाधारक के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

अतः उक्तानुसार राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर पट्टाधार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मोनिका)
उप जिलाधिकारी, काण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त निरीक्षण आख्या

जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या–1937/तीस– खनन /2022–023 दिनांक 31.07.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 01.08.2023 को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एव खनिकर्म विभाग द्वारा पट्टाधारक प्रतिनिधि की उपस्थिति में कुलदीप सिंह बिष्ट (एस0के0 मिनरल्स) सोप स्टोन माईन, काण्डेकन्याल का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि काण्डा पड़ाव से सुनारगॉव को जाने वाले पैदल मार्ग में दरारें पाई गई तथा पैदल मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होना पाया गया, जो वर्तमान में आवाजाही योग्य नहीं रह गया है। पट्टाधारक द्वारा खनन उपरान्त खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न किये जाने, नियमित रूप से सीढ़ीनुमा खेत न बनाये जाने एवं मलुवे का निस्तारण न किये जाने के कारण मलुवे का रिसाव आवादी की ओर हो गया है, जिससे श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री नन्दन राम एवं श्री नरेश राम पुत्र स्व0 श्री हरीश राम के आवासीय भवनो के पीछे मलुवा आ जाने से आवसीय भवनों को आंशिक क्षति हुई है तथा यथाशीघ्र मलुवे का निस्तारण नहीं किया गया तो भविष्य में उक्त भवनों के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिवारों को पंचायत घर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त माइन्स क्षेत्र के मलुवे के रिसाव के कारण काण्डा–भाकड़पन्त मोटर मार्ग में निर्मित कलमठ बन्द हो गया है, जिससे पानी पूर्णतः मोटर मार्ग में फैल रहा है। इसी प्रकार उक्त माईन के निचले भाग में गैस गोदम के निकट स्थित खनन पिट में भी पूर्णतः समतलीकरण नहीं किया गया और न ही सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये हैं, जिससे निकट भविष्य में गैस गोदाम को भी खतरे की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित पट्टाधारक प्रतिनिधि को मलुवा हटाने, क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत करने एवं आवासीय भवनों के सुरक्षात्मक उपाय करने के संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त भण्डारित मलुवे को हटाने के उपरान्त मलुवे को स्तरों में विकसित करने, स्थल पर मौजूद दरारों को भरे जाने एवं व्यवस्थित रूप से पानी की निकासी करने के भी निर्देश दिये गये। मौके पर उपस्थित पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा लिखित में पत्र प्रस्तुत करते हुये उक्त दोनों परिवारों को वर्षाकाल में किराये के भवन में रहने हेतु प्रति परिवार रू0 4000.00 (चार हजार मात्र) प्रतिमाह देने की सहमति व्यक्त की गई। प्रस्तुत पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त माइन्स क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षणों एवं तद्क्रम में जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय आदेश संख्या–219/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 1.06.2023 एवं आदेश सं0–849/तीस–35/खनन–स्थ0आ0/2014–15 (2022–23) दिनांक 12.06.2023 जिसके द्वारा खनन कार्य से बने गड्ढों का समतलीकरण कर भू–स्खलन आदि के बचाव के लिये आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, का अनुपालन भी नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि खनन उपरान्त मलुवे का निस्तारण न करना, खनन पिटों का पूर्णतः समतलीकरण न करना, दरारों का भरान न करना एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना पट्टाधारक की लापरवाही को प्रदर्शित करता है जिस कारण पट्टाधारक के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

रा0उ0नि0 बजीना	राजस्व निरीक्षक काण्डा	प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर	तहसीलदार काण्डा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उपजिलाधिकारी,काण्डा द्वारा पत्र संख्या–330/पी0ए0–खनन/2022–23 दिनांक 20 अप्रैल, 2023 से महाप्रबंधक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड ओक पार्क हाउस, नैनीताल के पत्र संख्या–5088/ 11–गैस दिनांक 31.01.2023,जिसमें कु0म0वि0नि0 द्वारा संचालित काण्डा गैस गोदाम परिसर में खड़िया खनन को रोके जाने का अनुरोध किया गया है,के संदर्भ मे दिनांक 17.04.2023 को ग्राम काण्डेकन्याल चकबखतिया में खनन विभाग, भू–वैज्ञानिक तथा राजस्व विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में माईन प्रतिनिधि श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे के समक्ष किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्यानुसार अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उक्त गैस गोदाम भवन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। गैस गोदाम के समीप स्थित बने खनन पिट को तत्काल बंद कर समतलीकरण करने हेतु पट्टाधारक को मौके पर निर्देश दिये गये हैं एवं उक्त खनन पिट प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के काण्डा– सिलगखेत–सुनारगांव मोटर मार्ग तथा काण्डा–भाकड़पंत मोटर मार्ग से कमशः 35 एवं 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि उक्त खनन पिट से नजदीकतम आबादी 50 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के अध्याय–05 के नियम 41 (ड.)के अनुसार भवनों या सड़कों से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान(Point)पर या किसी स्थल तक कोई खनन संकियायें नहीं की जा सकती हैं,जिसके फलस्वरूप गैस गोदाम परिसर,लो0नि0वि0 मोटर मार्ग तथा आबादी स्थल से 50 मीटर की परिधि में सोपस्टोन खनन संकियायें निषिद्व किया जाना उचित होगा।

उपजिलाधिकारी,काण्डा की आख्या के आधार पर सुरक्षा के दृष्टिगत पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र ग्राम काण्डेकन्याल अंतर्गत गैस गोदाम,आबादी एवं मोटर मार्ग से 50 मी0 की परिधि में खनन संकियायें पूर्णतया निषिद्व की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान में गैस गोदाम तथा आबादी के समीप बनाये पिटों को भरने के साथ ही सभी सुरक्षात्मक उपाय तत्काल करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः–819/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 1/6/2023

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपजिलाधिकारी काण्डा।
2. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर उपरोक्त निर्देशों का संबंधित पट्टाधारक से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वस्तुस्थिति से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. भूवैज्ञानिक,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,बागेश्वर।
4. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा,जनपद बागेश्वर को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. तहसीलदार,काण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति संबंधित पट्टाधारक/अधिकृत प्रतिनिधि पर तत्काल तामील कराने उपरांत उनके सतिथि हस्ताक्षर लेते हुए तामीली रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

24.77

कार्यालय उपजिलाधिकारी काण्डा, जनपद बागेश्वर।

संख्या–330 /पी0ए0–खनन/2022–23 दिनांक 20 अप्रैल, 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

1487
04 MAY 2023
4.5.23

विषय– कु0मं0वि0नि0 द्वारा संचालित काण्डा गैस गोदाम परिसर क्षेत्र में खड़िया खनन रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

04.5.23

उपरोक्त विषयक कृपया महाप्रबंधक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड ओक पार्क हाउस, नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–5088/11–गैस/दिनांक 31.01.2023, जो जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम आज दिनांक 17.04.2023 को ग्राम काण्डेकन्याल चक बखतिया में खनन विभाग, भू–वैज्ञानिक तथा राजस्व विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में माईन प्रतिनिधि श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे के समक्ष संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में शासनादेश संख्या 2169/औ0वि0/150–ख/2001, दिनांक 17.01.2001 द्वारा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस स्वीकृत किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 17.01.2003 तक थी। उक्त पट्टाधारक के नाम पर 4.812 है0 भूमि में उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग संख्या 602/VII-I/2015/150–ख/2001 देहरादून दिनांक 27 मई, 2015 के अनुसार 20 वर्षों की अवधि के लिए सोप स्टोन खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। जिसमें पट्टाधारक द्वारा वर्तमान में स्वीकृत सीमांकित क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य किया जा रहा है।

उक्त ग्राम में ही कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल अन्तर्गत काण्डा गैस सर्विस, काण्डा की भूमि स्थित है, जो प्रबन्धक निदेशक कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के नाम पर ग्राम कान्डेकन्याल चक बखतिया की खाता संख्या 111 बसरा संख्या 1647 कुल रकवा 9 नाली 8 मुटठी जरिये बैनामा दर्ज है। यह भूमि भू–अभिलेखों में दिनांक 26.02.2010 को दर्ज हुई है। उक्त भूमि मध्ये गैस गोदाम, कार्यालय भवन परिसर तथा पहुंच मार्ग स्थित है। गैस सर्विस काण्डा के पैमाईश सम्बन्धी एक आवेदन पत्र में गैस प्रबन्धक की निशानदेही पर क्रय की गयी भूमि का मौके पर सीमांकन कर दिया गया है। जिसके अनुसार गैस सर्विस काण्डा की अधिकांशतः भूमि पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के स्वीकृत सीमांकत क्षेत्रान्तर्गत स्थित है।

वर्तमान में उक्त गैस गोदाम भवन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। गैस गोदाम के समीप स्थित बने खनन पिट को तत्काल बन्द कर समतलीकरण करने हेतु पट्टाधारक को मौके पर निर्देश दिये गये। उक्त खनन पिट प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के कांडा–सिलगखेत–सुनारगांव मोटर मार्ग तथा कांडा–भाकड पंत मोटर मार्ग से क्रमशः 35 एवं 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि उक्त खनन पिट से नजदीकतम आबादी 50 मीटर की परिधि से बाहर स्थित है। उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) विभाग विज्ञप्ति, 26 अगस्त 2001 ई0 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के अध्याय 05 के नियम 41 (ड़) में भवनों या सड़कों से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (Point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियांये न किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त स्थिति में गैस गोदाम परिसर, लो0नि0वि0 मोटर मार्ग तथा आबादी स्थल से 50 मीटर की परिधि में सोप स्टोन खनन संक्रियाये निषिद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। दीर्घ कालीन सुरक्षा हेतु गैस गोदाम परिसर एवं लो0नि0वि0 मोटर मार्ग को स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से पृथक किया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न :– यथोक्त।

(मोनिका)
उप जिलाधिकारी
काण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 17.04.2023 को ग्राम काण्डेकन्याल चक बखतिया में कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल द्वारा संचालित काण्डा गैस गोदाम परिसर क्षेत्र में खड़िया खनन कार्य रोके जाने विषयक महा प्रबन्धक कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के प्रार्थना पत्र पत्रांक 5088/11–गैस दिनांक अपठित पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदया, काण्डा के आदेशानुसार खनन विभाग, भू–वैज्ञानिक तथा राजस्व विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में माईन प्रतिनिधि श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे के समक्ष संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में शासनादेश संख्या 2169/औ0वि0/150–ख/2001, दिनांक 17.01.2001 द्वारा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस स्वीकृत किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 17.01.2003 तक थी। उक्त पट्टाधारक के नाम पर 4.812 है0 भूमि में उत्तराखण्ड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग संख्या 602/VII-1/2015/150–ख/2001 देहरादून दिनांक 27 मई, 2015 के अनुसार 20 वर्षों की अवधि के लिए सोप स्टोन खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। जिसमें पट्टाधारक द्वारा वर्तमान में स्वीकृत सीमांकित क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य किया जा रहा है।

उक्त ग्राम में ही कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल अन्तर्गत काण्डा गैस सर्विस, काण्डा की भूमि स्थित है, जो प्रबन्धक निदेशक कुमांऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के नाम पर ग्राम कान्डेकन्याल चक बखतिया की खाता संख्या 111 बसरा संख्या 1647 कुल रकवा 9 नाली 8 मुट्ठी जरिये बैनामा दर्ज है। यह भूमि भू–अभिलेखों में दिनांक 26.02.2010 को दर्ज हुई है। उक्त भूमि मध्ये गैस गोदाम, कार्यालय भवन परिसर तथा पहुंच मार्ग स्थित है। गैस सर्विस काण्डा के पैमाईश सम्बन्धी एक आवेदन पत्र में गैस प्रबन्धक की निशानदेही पर क्रय की गयी भूमि का मौके पर सीमांकन कर दिया गया है। जिसके अनुसार गैस सर्विस काण्डा की अधिकांशतः भूमि पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के स्वीकृत सीमांकत क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। सीमांकन आख्या संलग्न की गयी है।

वर्तमान में उक्त गैस गोदाम भवन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। गैस गोदाम के समीप स्थित बने खनन पिट को तत्काल बन्द कर समतलीकरण करने हेतु पट्टाधारक को मौके पर निर्देश दिये गये। उक्त खनन पिट प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के कांडा– सिलगखेत–सुनारगांव मोटर मार्ग तथा कांडा–भाकड पंत मोटर मार्ग से कमशः 35 एवं 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि उक्त खनन पिट से नजदीकतम आबादी 50 मीटर की परिधि से बाहर स्थित है। उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) विभाग विज्ञप्ति, 26 अगस्त 2001 ई0 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के अध्याय 05 के नियम 41 (ड) में भवनों या सड़कों से 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (Point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियांये न किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त स्थिति में गैस गोदाम परिसर, लो0नि0वि0 मोटर मार्ग तथा आबादी स्थल से 50 मीटर की परिधि में सोप स्टोन खनन संक्रियाये निषिद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। दीर्घ कालीन सुरक्षा हेतु गैस गोदाम परिसर एवं लो0नि0वि0 मोटर मार्ग को स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से पृथक किया जाना उचित होगा।

राजस्व उपनिरीक्षक
बजीना

राजस्व निरीक्षक
काण्डा

तहसीलदार
काण्डा

खान निरीक्षक खनन विभाग
बागेश्वर

प्राविधिक सहायक भू विज्ञान
बागेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)

ओक पार्क हाउस, नैनीताल – 263001

पत्रांक /11–गैस दिनांक 2023 पंजीकृत / मेल

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

बागेश्वर ।

विषय : कु0मं0वि0नि0 द्वारा संचालित काण्डा गैस गोदाम परिसर क्षेत्र में खड़िया खनन रोके जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

कृपया प्रबन्धक, काण्डा गैस सर्विस, काण्डा द्वारा उपजिलाधिकारी को प्रेषित एवं इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत मेल पत्रांक दिनांक 23.1.2023, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, द्वारा अवगत कराया गया है कि काण्डा गैस एजेन्सी की भूमि से लगते हुए खड़िया कारोबारियों द्वारा दिनांक 21.1.2023 से खड़िया खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे भविष्य में काण्डा गैस गोदाम की सुरक्षा को खतरा हो सकता है ऐसी स्थिति में आई0ओ0सी0 अधिकारियों द्वारा एजेन्सी निरस्त की जा सकती है ।

इसी कम में अवगत कराना है कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा वर्ष 2012 से काण्डा इंडेन गैस सर्विस का संचालन करते हुए काण्डा एवं इससे सम्बद्ध ग्रामीण विस्तारबिन्दुओं के लगभग 8000 उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सुविधा सुलभ करायी जा रही है । ऐसी स्थिति में गैस गोदाम क्षेत्र से लगी भूमि पर खनन होने से आई0ओ0सी0/विस्फोटक विभाग द्वारा गोदाम लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है जिससे काण्डा क्षेत्र के गैस उपभोक्ताओं की रसोई गैस आपूर्ति प्रभावित होने की सम्भावना है ।

अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में काण्डा गैस गोदाम परिसर क्षेत्र के आस–पास खड़िया खनन कार्य रोके जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न–यथोपरि ।

भवदीय,

(ए0पी0 बाजपेयी)
महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक महोदय को सादर अवलोकनार्थ ।
प्रतिलिपि : उपजिलाधिकारी, काण्डा(बागेश्वर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
प्रतिलिपि : प्रबन्धक, काण्डा गैस सर्विस, काण्डा को अनुश्रवण हेतु ।

महाप्रबन्धक

सम्पर्क :– कार्यालय : 231437, 231985, 236043
ई–मेल : kmvn@yahoo.com वेबसाइट : www.kmvn.in

आदेश

ग्राम काण्डेकन्याल चक बखतिया राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बजीना, तहसील काण्डा,जनपद बागेश्वर अंतर्गत मॉ कालिका मंदिर में हो रहे भू–धॅसाव के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र के संदर्भ में दिनांक 06.04.2023 को राजस्व विभाग एवं प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर द्वारा मंदिर कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में किये गये संयुक्त निरीक्षण की उपजिलाधिकारी, काण्डा द्वारा पत्र संख्या–312/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध करायी गयी आख्या के आलोक में कालिका मंदिर में आ रही दरारों के फलस्वरूप श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग(वह भाग जो कालिका माता मंदिर से सुनारगांव को जाने वाले मार्ग के समरेखण में अवस्थित है) में सीढ़ीदार सुरक्षात्मक पक्की बेंच (जिसका सामान्य ढलान 45° का होना चाहिये) बनाये जाने के अतिरिक्त खनन कार्य से पृथक–पृथक स्थानों पर आयी दरारों को भरे जाने की कार्यवाही तत्काल राजस्व विभाग के प्रतिनिधि/भूवैज्ञानिक,की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करें । पट्टाधारक द्वारा संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय करने के पश्चात् उक्त संबंध में वृहद विभागीय निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने तक ऊपरी भाग(जो कि मंदिर मार्ग से सटा हुआ है),में खनन कार्य के लिए सभी प्रकार की मशीनों के उपयोग को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्याः–614/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 12/4/2023

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपजिलाधिकारी,काण्डा खनन क्षेत्र में खनन कार्य से कालिका मंदिर व पृथक–पृथक स्थानों में आयी दरारों में किसी प्रकार की वृद्वि उत्पन्न न हो,के क्रम में लगातार निगरानी बनाये रखते हुए वस्तुस्थिति से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।
3. भूवैज्ञानिक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर खनन क्षेत्र में खनन कार्य से कालिका मंदिर व पृथक–पृथक स्थानों में आयी दरारों में किसी प्रकार की वृद्वि उत्पन्न न हो,के क्रम में लगातार निगरानी बनाये रखते हुए वस्तुस्थिति से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, काण्डेकन्याल,तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. तहसीलदार,काण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति संबंधित पट्टाधारक/अधिकृत प्रतिनिधि पर तत्काल तामील कराने उपरांत उनके सतिथि हस्ताक्षर लेते हुए तामीली रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

1392 19.4 23530

कार्यालय उपजिलाधिकारी काण्डा, जनपद बागेश्वर।

संख्या–312/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 10 अप्रैल, 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

15 APR 2023

विषय– मॉं कालिका मन्दिर परिसर काण्डा में हो रहे भू–धंसाव के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया डॉ0 सोहन सिंह माजिला, ग्राम पंचौड़ा, पो0ओ0 काण्डा, जनपद बागेश्वर द्वारा मॉं कालिका मन्दिर परिसर काण्डा में हो रहे भू–धंसाव के संबंध मे शिकायती पत्र, जो मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है, पर महोदय से प्राप्त निर्देशों के कम में राजस्व विभाग एवं प्राविधिक सहायक भू विज्ञान बागेश्वर के संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्राविधिक सहायक भू विज्ञान बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–04/भू0खनि0ई0बागे0/भू0वि0/2022–23 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा प्रस्तुत भूगर्भीय आख्या के निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त के आधार पर तत्काल प्रभाव से कुछ सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होंगे जिसके अन्तर्गत प्रथमतयाः खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग (वह भाग जो कालिका माता मंदिर से सुनारगांव को जाने वाले मार्ग के समरेखण में अवस्थित है) में सीढ़ीदार सुरक्षात्मक पक्की बेंच बनायी जानी होगी। उक्त बेंच का सामान्य ढलान 45^0 का होना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्थल 02 में पृथक–पृथक स्थानों पर आयी दरारों को भरा जाना होगा, एवं निकट भविश्य में खनन कार्य से इन दरारों में किसी प्रकार की वृद्धि का आंकलन करने के लिये इन दरारों की लगातार निगरानी किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक सुरक्षात्मक उपाय न कर लिये जायें तब तक खनन क्षेत्र के ऊपरी भाग (जो कि मंदिर मार्ग से सटा हुआ है) में खनन कार्य के लिए किसी प्रकार की मशीन उपयोग में न लायी जाय।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं भूगर्भीय आख्या पत्र के साथ मूल में संलग्न कर संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(मोनिका)
उप जिलाधिकारी
काण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जनपद बागेश्वर।

पत्रांक : 2 /भू0खनि0ई0बागे0/भू0वि0/2022–23, दिनांक : 6.04.2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
काण्डा

विषयः जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम काण्डे कन्याल में मां कालिका मन्दिर परिसर में हो रहे भू–धसाव की भूवैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा Whatsapp के माध्यम से प्रेषित पत्र श्री सोहन सिंह माजिला जो कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है पर अपर सचिव के टिप्पणी संख्या 71 दिनांक 05.04.2023 निर्देशन के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल का भू–वैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण अधोहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2023 को सम्पन्न किया गया। भू–गर्भीय आख्या पत्र के साथ मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–

1. निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(अनिकेत थपलियाल)
प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान
बागेश्वर।

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेषालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

(अनिकेत थपलियाल)
प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान
बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एव खनिकर्म इकाई, जनपद बागेश्वर।

जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम काण्डे कन्याल में मां कालिका मन्दिर परिसर में हो रहे भू–धसाव की भूवैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावनाः–

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा Whatsapp के माध्यम से प्रेषित पत्र श्री सोहन सिंह माजिला जो कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है पर अपर सचिव के टिप्पणी संख्या 71 दिनांक 05.04.2023 निर्देशन के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल का भू–वैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण अधोहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2023 को राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों, मन्दिर कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। तहसीलदार काण्डा द्वारा शिकायतकर्ता से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क भी किया गया जिस पर शिकायतकर्ता ने अवगत कराया कि वर्तमान में वह देहरादून में मौजूद है। उक्त प्रकरण की भूगर्भीय दृष्टिकोण से आख्या निम्नवत् हैः–

स्थिति एवं भूगर्भीय संरचनाः–

प्रश्नगत स्थल जिला मुख्यालय से लगभग 30 किमी0 की दूरी पर काण्डा पडाव से काण्डेकन्याल मोटर मार्ग स्थित है। प्रश्नगत क्षेत्र ढालदार पहाड़ी भू–भाग पर अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल मां कालिका का प्राचीन मन्दिर है, जिसका निर्माण दसवीं शताब्दी में किया गया था। स्थल की अपनी पौराणिक मान्यता है एवं हर साल यहा पर मेला लगता है जिसमें आस–पास के गांव के लोग सम्मलित होते है।

स्थल 01:–

कालिका माता का मन्दिर काण्डा पडाव के बाजार में स्थित है मन्दिर के गर्भ गृह में एक दरार पायी गयी है साथ ही मन्दिर के परिक्रमा स्थल पीछे की ओर 10 मीटर लम्बी हल्की दरार पायी गयी है। इसके अतिरिक्त मन्दिर के बाहर प्रागण में पूर्व दिशा में भी दरारें पायी गयी हैं जिनका की वर्तमान में सीमेंट द्वारा भराव किया गया है। मौके पर मौजूद मन्दिर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि मन्दिर में पायी गयी दरारें पिछले पांच वर्षो से मौजूद है साथ ही एक साल के अंतराल में उनकी चौडाई में वृद्धि हुयी है। मन्दिर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि मन्दिर में आयी दरारें मन्दिर के निकट चल रही खनन कार्य के कारण है।

खनन क्षेत्र मन्दिर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। जिसकी मन्दिर से दूरी लगभग 150 मीटर है।

Scanned with OKEN Scanner

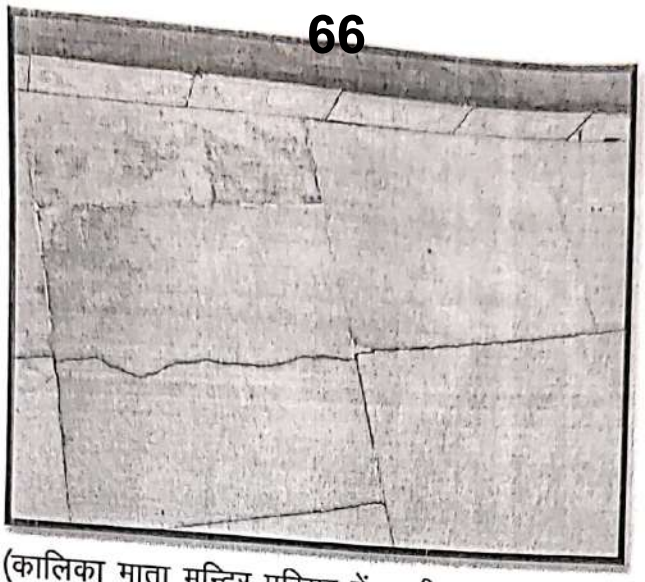

(कालिका माता मन्दिर परिसर में आयी दरार का चित्र)

उक्त स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं0 **53 O/13**के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 1640 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29^0 49' 31.7" अक्षासं

पूर्व $79^0$53' 29.8" देशान्तर

स्थल 02:–

यह स्थल मन्दिर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगभग 140 मी0 की दूरी पर स्थिल है। यह मन्दिर सुनारगांव जाने वाले कच्चे रास्ते के पश्चिम दिशा की ओर ढालदार सीढीनुमा भू–भाग पर स्थित है। स्थल के उत्तर पश्चिम में प्राथमिक विद्यालय काण्डा एवं पश्चिम में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज काण्डा स्थित है। उक्त स्थल पर लगभग 8 सेटीमीटर चौड़ी एवं 40 मीटर लम्बी दरारें पायी गयी है। इसके अतिरिक्त भी मन्दिर मार्ग के पश्चिम में पृथक–पृथक स्थानों पर दरारें मौजूद है। उक्त स्थल से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 40 मीटर है।

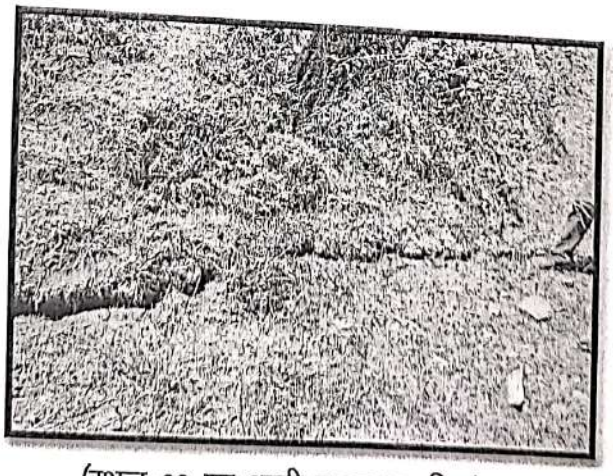

(स्थल 02 पर आयी दरार का चित्र)

उक्त स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं0 **53 O/13**के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 1634 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29^0 49' 36.2'' अक्षासं

पूर्व 79^0 53' 29.5'' देशान्तर

भूगर्भीय संरचनाः–

बेरीनाग फारमेशन

क्वाटजाईट मेटा क्वार्टजाईट , कौग्लोमेरिट फिलाइट

....अन्कन्फरमिटी...

गंगोलीहाट डोलोमाइट – डोलोमाइट, लाईमस्टोन एल्गल संरचना के साथ डोलामीटिक सोपस्टोन जिसमें टाल्क/टाल्कोज/फिलाइट व डोलोमाइट अन्तः संस्तरीय अवस्था में मिलती है।

....अन्कन्फरमिटि...

सोर स्लेट

सेल, स्लेट, ग्रेवेके एवं फिलाइट

जनपद बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः लेसर हिमालय और मध्य हिमालय में अवस्थित चट्टानों की उत्पत्ति से निर्मित है। क्षेत्र में कई उत्पत्ति चकों में हुई विभिन्न टैक्टोनिक मूवमैन्ट के कारण क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना अत्यधिक जटिलता लिये हुए है। जनपद बागेश्वर में विभिन्न स्थानान्तर्गत current bedded quartzite, mica talc, schist, limestone, conglomerate, slate, quartzite, granodiorite, augen-gneiss, migmatite and granite gneissआदि चट्टानें पायी जाती हैं। जनपद का उत्तरी भाग जो अधिकांशतः हिमाच्छादित है, कायान्तरित चट्टानों से निर्मित है जो कि मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय जोन का सेन्ट्रल किस्टलाइन भाग थ्रस्ट की तरह प्रदर्शित है जो कि विभिन्न टैक्टोनिक सैटिंग अवधियों के दौरान लेसर हिमालय जोन की metasedimentaryवsedimetary चट्टानों के ऊपर अवस्थित है। सेन्ट्रल किस्टलाईन जोन में मुख्यतः मिग्मेटाइट, माइका नाइस, कैल्क नाइस, क्वार्टजाईट, मार्बल, माइका शिस्ट तथा एम्फीवोलाईट चट्टानें पायी जाती हैं। जनपद बागेश्वर का अधिकांश भाग geotectoniczoneके अन्तर्गत आता है जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है।

स्थानीय भूगर्भीय संरचनाः–

तेजम (समूह)

↓

देववन–गंगोलीहाट (फॉरमेशन)

↓

लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फिलाइट, स्ट्रोमेटोलाइट (चट्टानें)

प्रभावित स्थल लघु हिमालय पर्वत श्रंखला के विकसित सोपानो के मध्य तेजम समूह की देववन गंगोलीहाट फोरमेशन के मध्य अवस्थित है। प्रस्तावित स्थल की सतह पर स्वस्थानिक कठोर चट्टानें दृष्टिगोचर नही होती हैं। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में सतह पर भूरे रंगी की मोटे कणों वाली मृदा के साथ साथ चट्टानों के भूरे–ग्रे रंग के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का आवरण है। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर उपर की ओर स्थित भ–ूभाग, स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित,स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भ–ूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित हुआ है। स्थल पर डोलोमाइट के साथ–साथ फिलाइट चट्टानें मौजूद हैं। फिलाइट चट्टान में Wrinkled Texture दिखता है। कुछ चट्टानों में साधारण फोलिएशन के साथ–साथ लहरदार फोलिएशन भी दिखता है। फिलाइट एक सूक्ष्म कायान्तरित चट्टान है। प्लेटी खनिजों के समानान्तर संरेखण के कारण फिलाइट में चिन्हित विखंडन होता है। अभ्रक की छोटी प्लेटों के कारण इसकी सतह पर चमक आ जाती है। इसके दाने के आकार स्लेट के दाने से बड़ा लेकिन शिस्ट के दानें से छोटा होता है।

वर्तमान स्थिति को देखने पर यह ज्ञात होता है कि मन्दिर में आयी दरारों का सम्बन्ध स्थल 02 पर आयी दरारों से है। जो कि खनन कार्य से उत्पन्न हुयी है। अतः वर्तमान में मन्दिर स्थिर प्रतीत होता है परन्तु निकट भविष्य में मन्दिर मार्ग के पश्चिम में उपर की ओर स्थित भू–भाग में भू–धसाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसके प्रभाव मन्दिर एवं आस–पास के क्षेत्रों में भी परिलक्षित हो सकते है।

निष्कर्षः– अतः उपरोक्त के आधार पर तत्काल प्रभाव से कुछ सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होंगे जिसके अन्तर्गत प्रथमतयाः खनन क्षेत्र के पश्चिमी भाग (वह भाग जो कालिका माता मंदिर से सुनारगांव को जाने वाले मार्ग के समरेखण में अवस्थित है) में सीढ़ीदार सुरक्षात्मक पक्की बेंच बनायी जानी होगी। उक्त बेंच का सामान्य ढलान 45^0 का होना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्थल 02 में पृथक–पृथक स्थानों पर आयी दरारों को भरा जाना होगा, एवं निकट भविष्य में खनन कार्य से इन दरारों में किसी प्रकार की वृद्धि का आंकलन करने के लिये इन दरारों की लगातार निगरानी किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक सुरक्षात्मक उपाय न कर लिये जायें

Scanned with OKEN Scanner

तब तक खनन क्षेत्र के ऊपरी भाग (जो कि मंदिर मार्ग से सटा हुआ है) में खनन कार्य के लिए किसी प्रकार की मशीन उपयोग में न लायी जाय।

भवदीय

(अनिकेत थपलियाल)
प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यमंत्री आवास कार्यालय
दिनांक : 05/04/2023
अनुभाग/विभाग RO-02
पत्रावली प्र.वसि./लिखित
आगमन क्रमांक 71

जिलाधिकारी (बागेश्वर)
कृपया परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

सेवा में,

मा0 मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार

विषयः माँ कालिका मन्दिर परिसर काण्डा में हो रहे भू–धसाव के सम्बन्ध में।

(जगदीश चन्द्र खण्डपाल)
अपर सचिव
मा. मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि माँ कालिका का मन्दिर काण्डा जनपद बागेश्वर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया है। बाद में क्षेत्रीय जनता के आर्थिक सहयोग से मन्दिर को भव्य रूप दिया गया है। वर्तमान में मन्दिर के गर्भ गृह में दिव्य शक्ति पीठ के पास एवं मन्दिर परिसर में दरारें दिखाई दे रही है। इस सम्बन्ध में मन्दिर को नुकसान होने की संभावना के दृष्टिगत स्थानीय एवं जिला प्रशासन को लिखित में सूचित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाता रहा है किन्तु आतिथि तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। मन्दिर परिसर में हो रहे भू–धसाव को कारण जानने हेतु भू सर्वेक्षण विभाग से सर्वेक्षण कराया जा सकता है ताकि मन्दिर परिसर में दरारें पड़ने के कारणों का पता लगाया जा सकता है।

अतः क्षेत्रीय जनता अनुरोध करती है कि माँ कालिका के मन्दिर में हो रहे भू–धसाव का कारण का पता लगाने हेतु भू–गर्भ सर्वेक्षण विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि ऐतिहासिक एवं पौराणिक माँ कालिका मन्दिर का संरक्षण किया जा सके।

प्रार्थी
5.4.2023

(डॉ0 सोहन सिंह माजिला)
ग्राम पंचोड़ा पो0ओ0काडा
जनपद बागेश्वर
मो0–8171377190

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 06.04.2023 को शिकायतकर्ता .डा0 सोहन सिंह माजिला ग्राम पंचौड़ा पोस्ट काण्डा, जनपद बागेश्वर के पत्र जो कि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है के विषय मां कालिका मन्दिर परिसर काण्डा में हो रहे भू–धसाव के सम्बन्ध में है। जिसमें उनके द्वारा अपने पत्र में कालिका मन्दिर परिसर में हो रहे भू–धसाव के कारण को जानने हेतु भू–सर्वेक्षण कारया जा सकता है तथा भू–धसाव के कारण का पता लगाने हेतु भू–गर्भ सर्वेक्षण विभाग के सक्षम अधिकारियों को निदेर्शित करने का अनुरोध किया है ताकि ऐतिहासिक एवं पौराणिक कालिका मन्दिर का सर्वेक्षण किया जा सके के क्रम आज मौके पर ग्राम कान्डेकन्याल चक बखतिया राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बजीना, तहसील काण्डा जिला बागेश्वर अन्तर्गत मां कालिका मन्दिर में हो रहे भू–धसाव की जॉच खनन विभाग की ओर से भू–वैज्ञानिक तथा राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार काण्डा, राजस्व निरीक्षक काण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक बजीना, तथा मन्दिर समिति के सदस्यों की उपस्थिति में मौका जॉच की गयी। मन्दिर में आयी दरारें तथा भू–धसाव की जॉच आख्या पृथक से मूल में संलग्न है।

राजस्व उपनिरीक्षक
बजीना

राजस्व निरीक्षक
काण्डा

तहसीलदार
काण्डा

प्राविधिक सहायक भू विज्ञान
बागेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

640 05-4-2023

भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जनपद बागेश्वर।

पत्रांक : 832/भू0खनि0ई0बागे0/भू0वि0/2022–23, दिनांक : 28.03.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय: जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम काण्डे कन्याल में श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से आवासीय भवनों, गैस गोदाम, मंदिर तथा रास्ते को संभावित खतरे के दृष्टिगत स्थल की भूवैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

23317

महोदया,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 532/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 13.03.2023 के माध्यम से श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माईन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर के खनन क्षेत्र की दिनांक 23.01.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में उक्त खनन क्षेत्र के समीप स्थित आवासीय मकानों/रास्ता/मंदिर/गैस गोदाम आदि को भविष्य में होने वाले खतरे को दृष्टिगत रखते हुए तथा इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं के आवासीय भवनों के आंगन में कुछ हल्की दरारें देखे जाने से भूगर्भीय जांच किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल का भूवैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23.03.2023 को राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, सम्बन्धित भवन स्वामियों एवं पट्टाधारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:–

1. निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(अनिकेत थपलियाल)
प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान

सं0 /उपरोक्तानुसार /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

(प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, जनपद बागेश्वर।

जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम काण्डे कन्याल में श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से आवासीय भवनों, गैस गोदाम, मंदिर तथा रास्ते को संभावित खतरे के दृष्टिगत स्थल की भूवैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना:–

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 532/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 13.03.2023 के माध्यम से श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माईन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर के खनन क्षेत्र की दिनांक 23.01.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में उक्त खनन क्षेत्र के समीप स्थित आवासीय मकानों/रास्ता/मंदिर/गैस गोदाम आदि को भविष्य में होने वाले खतरे को दृष्टिगत रखते हुए तथा इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं के आवासीय भवनों के आंगन में कुछ हल्की दरारें देखे जाने से भूगर्भीय जांच किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल का भूवैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23.03.2023 को राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, सम्बन्धित भवन स्वामियों एवं पट्टाधारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी भूगर्भीय दृष्टिकोण से आख्या निम्नवत् है:–

स्थिति एवं भूगर्भीय संरचना:–

प्रश्नगत स्थल जिला मुख्यालय से लगभग 30 कि0मी0 की दूरी पर काण्डा पड़ाव से काण्डे–कन्याल मोटर मार्ग में स्थित है। प्रश्नगत क्षेत्र ढालदार भूभाग पर अवस्थित है। खनन क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्रफल 000 हैक्टेयर है, इसका कुछ भाग काण्डा पड़ाव से काण्डेकन्याल मोटर मार्ग के ऊपर (पश्चिम में) एवं कुछ भाग काण्डा पड़ाव से काण्डेकन्याल मोटर मार्ग के नीचे (पूरब में) फैला हुआ है। खनन क्षेत्र का ढलान पूरब दिशा की ओर लगभग 30^0 है। इसके पूरब दिशा की ओर गैस गोदान एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर कालिका माता मन्दिर अवस्थित है। इसके उत्तर दिशा में लगभग 140 मी0 की दूरी पर कन्ट्रीवाइड पब्लिक स्कूल स्थित है।

स्थल 01:–

श्री नरेश राम पुत्र श्री हरी राम का आवासीय भवन खनन क्षेत्र के दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। आवासीय भवन की खनन क्षेत्र से दूरी लगभग 60–70 मीटर है। इसका स्थानीय ढलान उत्तर–पूरब दिशा की ओर है। उक्त आवासीय भवन दो मंजिला इमारत है। भवन के पीछे की दीवार पर कुछ हल्की दरारें पायी गयी हैं।

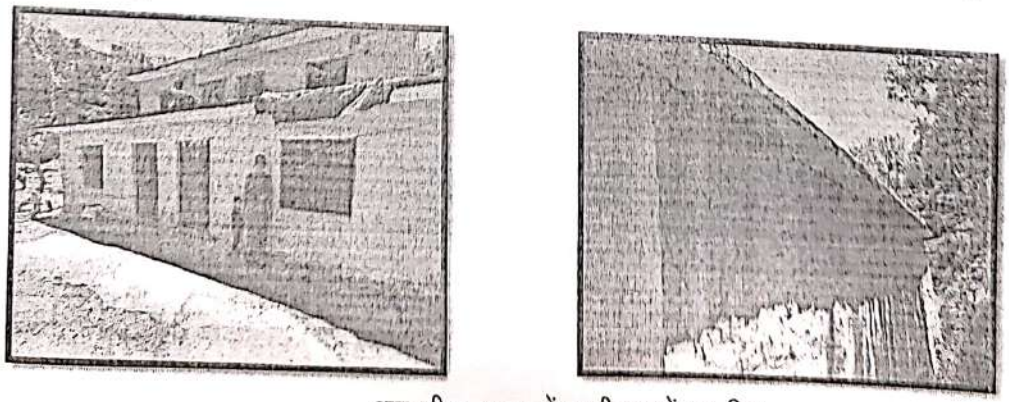

आवासीय भवन में आयी दरारों का चित्र

Scanned with OKEN Scanner

आवासीय भवन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं0 53 O/13 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 1604 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29^0 49′ 35.2″ अक्षासं

पूर्व 79^0 53′ 32.6″ देशान्तर

स्थल 02:–

श्री साधू राम पुत्र श्री तिलराम का आवासीय भवन खनन क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। आवासीय भवन की खनन क्षेत्र से दूरी लगभग 50 मीटर है इसका स्थानीय ढलान दक्षिण–पूरब दिशा की ओर है। उक्त आवासीय भवन एक मंजिला इमारत है। भवन के आंगन में आधा से0मी0 चौड़ी दरार पायी गयी है इस कारण आंगन का आगे का भाग थोड़ा पूरब दिशा की ओर नीचे बैठ गया है।

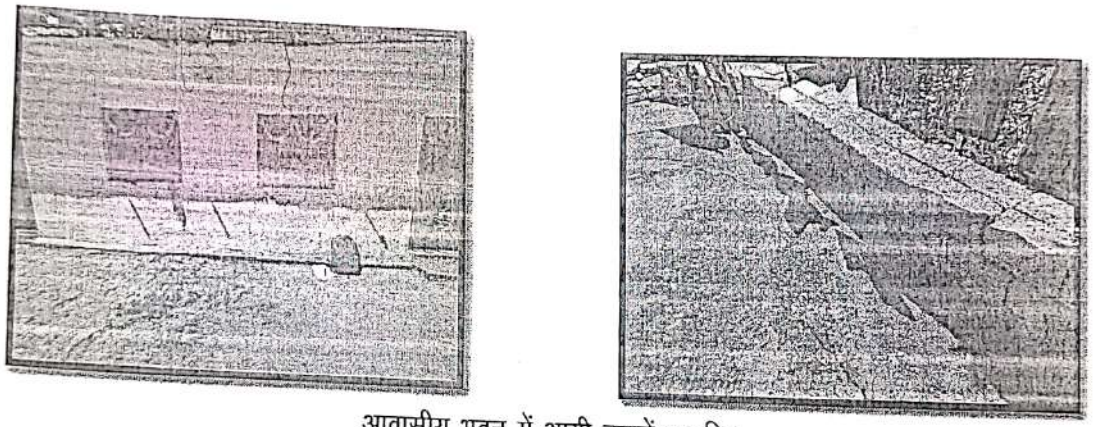

आवासीय भवन में आयी दरारों का चित्र

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं0 53 O/13 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 1614 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29^0 49′ 39.2″ अक्षासं

पूर्व 79^0 53′ 32.0″ देशान्तर

स्थल 03:–

श्री घनश्याम पुत्र श्री प्रेम राम का आवासीय भवन खनन क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर स्थित है आवासीय भवन की खनन क्षेत्र से दूरी लगभग 50 मीटर है। स्थल का ढलान पूरब दिशा की ओर है। उक्त भवन एक मंजिला इमारत है। भवन के आंगन में हल्की दरार पायी गयी।

Scanned with OKEN Scanner

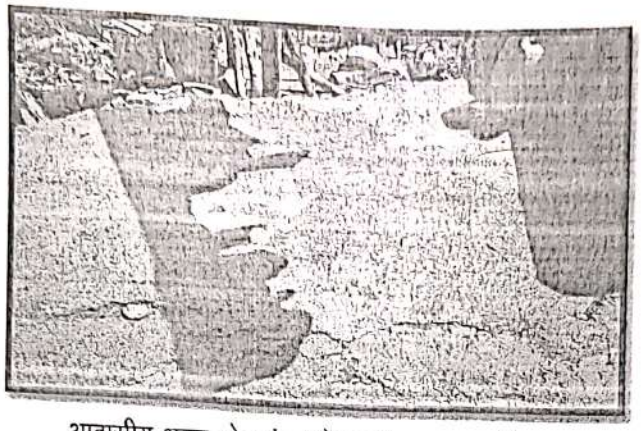

आवासीय भवन के आंगन में आयी दरार का चित्र

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं0 53 O/13 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 1617 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29^0 49′ 39.7″ अक्षासं

पूर्व 79^0 53′ 32.7″ देशान्तर

स्थल 04:–

श्री हरीश राम का आवासीय भवन खनन क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर है, आवासीय भवन की खनन क्षेत्र से दूरी 70 मीटर है। इसका स्थानीय ढलान पूरब दिशा की ओर है। उक्त आवासीय भवन दो मंजिला इमारत है। भवन के पिलर एंव सीढ़ियों में मोटी दरार पायी गयी है। भवन चट्टानी भूभाग में अवस्थित है।

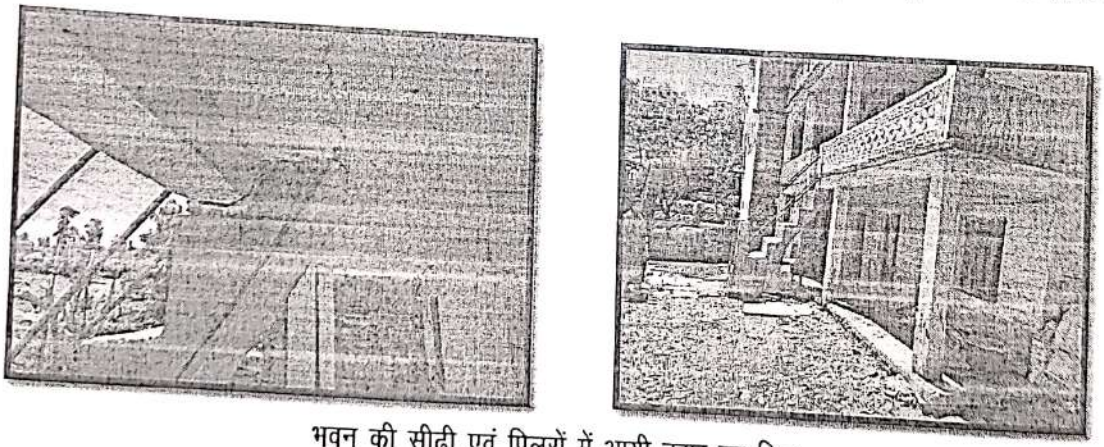

भवन की सीढ़ी एवं पिलरों में आयी दरार का चित्र

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं0 53 O/13 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 1618 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षासं व देशान्तर पर स्थित है :–

उत्तर 29^0 49′ 39.4″ अक्षासं

पूर्व 79^0 53′ 31.3″ देशान्तर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के अतिरिक्त कालिका माता मंदिर को जाने वाली वाले मार्ग पर भी काफी मोटी दरारें लगभग 06 से 07 से0मी0 चौड़ी दरारें पायी गयी। मार्ग को पूर्व में भी सीमेंट द्वारा पक्का किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी सीमेन्टेड मार्ग के ऊपर एवं किनारे पर भी दरारें देखी जा सकती हैं।

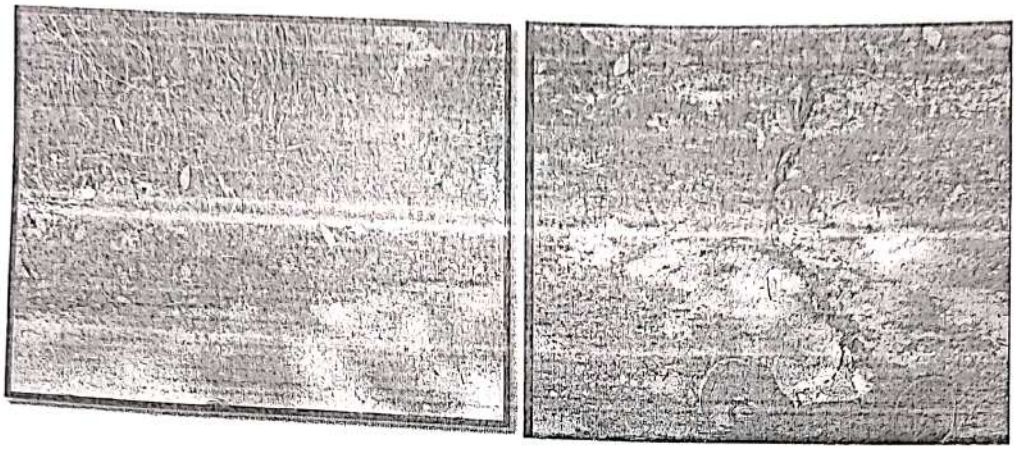

मंदिर मार्ग में आयी दरारों के चित्र

भूगर्भीय संरचनाः–

बेरीनाग फारमेशन		क्वाटजाईट मेटा क्वार्टजाईट , कौग्लोमेरिट फिलाइट
.....अन्कन्फरमिटी.....		
गंगोलीहाट डोलोमाइट	–	डोलोमाइट, लाईमस्टोन एल्गल संरचना के साथ डोलामीटिक सोपस्टोन जिसमें टाल्क/टाल्कोज/फिलाइट व डोलोमाइट अन्तः संस्तरीय अवस्था में मिलती है।
.....अन्कन्फरमिटि.....		
सोर स्लेट		सेल, स्लेट, ग्रेवेके एवं फिलाइट

जनपद बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः लेसर हिमालय और मध्य हिमालय में अवस्थित चट्टानों की उत्पत्ति से निर्मित है। क्षेत्र में कई उत्पत्ति चकों में हुई विभिन्न टैक्टोनिक मूवमैन्ट के कारण क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना अत्यधिक जटिलता लिये हुए है। जनपद बागेश्वर में विभिन्न स्थानान्तर्गत current bedded quartzite, mica talc, schist, limestone, conglomerate, slate, quartzite, granodiorite, augen-gneiss, migmatite and granite gneiss आदि चट्टानें पायी जाती हैं। जनपद का उत्तरी भाग जो अधिकांशतः हिमाच्छादित है, कायान्तरित चट्टानों से निर्मित है जो कि मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय जोन का सेन्ट्रल किस्टलाइन भाग थ्रस्ट की तरह प्रदर्शित है जो कि विभिन्न टैक्टोनिक सैटिंग अवधियों के दौरान लेसर हिमालय जोन की metasedimentry व sedimetry चट्टानों के ऊपर अवस्थित है। सेन्ट्रल किस्टलाईन जोन में मुख्यतः मिग्मेटाइट, माइका नाइस, कैल्क नाइस, क्वार्टजाईट, मार्वल, माइका शिस्ट तथा एम्फीवोलाईट चट्टानें पायी जाती हैं। जनपद बागेश्वर का अधिकांश भाग geotectoniczone के अन्तर्गत आता है जिसे लेसर हिमालय कहा जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय भूगर्भीय संरचनाः–

तेजम (समूह)

↓

देववन–गंगोलीहाट (फॉरमेशन)

↓

लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फिलाइट, स्ट्रोमेटोलाइट (चट्टानें)

प्रभावित स्थल लघु हिमालय पर्वत श्रंखला के विकसित सोपानो के मध्य तेजम समूह की देववन गंगोलीहाट फोरमेशन के मध्य अवस्थित है। प्रस्तावित स्थल की सतह पर स्वस्थानिक कठोर चट्टानें दृष्टिगोचर नही होती हैं। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में सतह पर भूरे रंगी की मोटे कणों वाली मृदा के साथ साथ चट्टानों के भूरे–ग्रे रंग के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का आवरण है। स्थल की स्थलाकृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्थल में पश्चिम दिशा की ओर स्थित भूभाग, स्थल के पूरब दिशा की ओर स्थित स्थल से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालदार भूभाग के अपरदन से कालान्तर में टूटकर आये अवसादों के स्थल पर निक्षेपित हुए भाग से निर्मित हुआ है। स्थल पर डोलोमाइट के साथ–साथ फिलाइट चट्टानें मौजूद हैं। फिलाइट चट्टान में Wrinkled Texture दिखता है। कुछ चट्टानों में साधारण फोलिएशन के साथ–साथ लहरदार फोलिएशन भी दिखता है। फिलाइट एक सूक्ष्म कायान्तरित चट्टान है। प्लेटी खनिजों के समानान्तर संरेखण के कारण फिलाइट में चिन्हित विखंडन होता है। अभ्रक की छोटी प्लेटों के कारण इसकी सतह पर चमक आ जाती है। इसके दाने के आकार स्लेट के दाने से बड़ा लेकिन सिस्ट के दानें से छोटा होता है।

श्री नरेश राम के आवासीय भवन में दरारों के अध्ययन से पाया गया है कि उक्त दरारें पुराने समय से ही विद्यमान प्रतीत होती हैं। परन्तु साधूराम एवं घनश्याम के भवनों में आयी दरार खनन से ही उत्पन्न हुयी प्रतीत होती है। चूंकि दरारों के आने के कारण इनके आंगन का आगे का पुश्ता भी पूरब दिशा की ओर झुक गया है, इस कारण इस पर त्वरित सुरक्षात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। श्री हरीश राम के भवन में आयी दरारों का कारण भी खनन कार्य प्रतीत नहीं होता है, चूंकि श्री हरीश राम का भवन उचित दूरी पर होने के साथ–साथ, चट्टानी भूभाग पर अवस्थित है, जिस कारण उक्त आवासीय भवन में खनन के द्वारा दरार आना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मंदिर को जाने वाले मार्ग में आयी मोटी दरारों से भूधंसाव होने की स्थिति बनती है। सीमेंटेड रोड़ में विद्यमान दरारों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पूर्व में मार्ग में आयी दरारों को भरे जाने के उपाय पर्याप्त नहीं हैं, इस कारण निकट भविष्य में भूधंसाव को रोकने के लिये कड़े एवं सुरक्षात्मक कदम लिये जाने की अवश्यकता है। गैस गोदाम में वर्तमान में कोई दरार नहीं पायी गयी है।

निष्कर्षः–

उपरोक्त के आधार पर साधू राम एवं घनश्याम के आवासीय भवनों में आयी दरारों को तत्काल भरा जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त मंदिर मार्ग में आयी दरारों को भरे जाने के पक्के उपाय किये जाने की आवश्यकता है एवं मंदिर मार्ग की दिशा की ओर खनन क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक खुदाई कार्य न किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

इसके अतिरिक्त गैस गोदाम के पश्चिम में एक सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण किया जाय ताकि खनन से उत्सर्जित मलवे से गैस गोदाम का भवन प्रभावित ना हो।

भवदीय

(अनिकेत थपलियाल)
प्राविधिक सहायक, भूविज्ञान

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्याः–532/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 13/3/2023

भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद बागेश्वर।

विषयः– एम0के0 मिनरल्स काण्डा बंद कराने बावत्।

उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी,काण्डा के पत्र संख्या–256/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 17 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके अंतर्गत श्री कुलदीप सिंह बिष्ट पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, काण्डेकन्याल, तहसील काण्डा,जनपद बागेश्वर के खनन क्षेत्र की दिनांक 23.01.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराते हुए उक्त खनन क्षेत्र के समीप स्थित आवासीय मकानों/रास्ता/मंदिर/गैस गोदाम आदि को भविष्य में होने वाले खतरे को दृष्टिगत रखते हुए तथा इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं के आवासीय भवनों के आंगन में कुछ हल्की दरारें भी देखे जाने से उसका कारण इत्यादि जानने के लिए भी भू–गर्भीय जॉच किया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया है।

अतः उपजिलाधिकारी,काण्डा के पत्र संख्या–256/पी0ए0–विविध/2022–23 दिनांक 17 फरवरी, 2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत मामले में अपनी भू–गर्भीय जॉच आख्या इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें,ताकि तद्नुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही संपादित की जा सके।

संलग्न–यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी,खनन
कृते, जिलाधिकारी,बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी काण्डा, जनपद बागेश्वर।

संख्या 256 /पी0ए0-विविध/2022-23 काण्डा, दिनांक 17 फरवरी 2023

1069 22-2-23 2 0 FEB 2023

सेवा में

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय : एम0के0 मिनरल्स काण्डा बन्द कराने बावत।

22266

महोदय,

0C/MC

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि श्री साधू राम, श्री हरीश राम एव अन्य द्वारा सयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनाक 21.01.2023 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमे उनके द्वारा एस0के0 मिनरल्स, काण्डा द्वारा हमारे मकानों के सामने बडी मशीनो द्वारा खुदाई कार्य किया जा रहा है, जिससे हमारे मकान, पानी का नौला/धारा, रास्ता, सडक कालीका मन्दिर, गैस गोदाम ध्वस्त होने के कगार पर हैं का उल्लेख किया है। साथ ही खडिया माइन बन्द किये जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार का अन्य अन्य प्रार्थना पत्र प्रबन्धक काण्डा गैस सर्विस, काण्डा द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-53/11 गैस दिनांक 23.01.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा निगम की जमीन से लगते हुये खडिया स्वामी द्वारा दिनांक 21.01.2023 से खड़िया खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिससे भविष्य में गैस गोदाम की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही खनन रूकवाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय पत्र संख्या-413/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 02.02.2023 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

DC
20/2

उक्त के क्रम में प्रश्नगत सोप स्टोन माइन का दिनांक 30.01.2023 को राजस्व विभाग एव खनन विभाग द्वारा सयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सयुक्त निरीक्षण उपरान्त आख्या मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(मोनिका)
उप जिलाधिकारी,
काण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 30.01.2023 को शिकायतकर्ता सादो राम पुत्र श्री तिल राम एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2023 तथा प्रबन्धक गैस सर्विस काण्डा के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2023, एम0के0 मिनरल्स काण्डा द्वारा संचालित सोप स्टोन माईन बन्द कराये जाने विषयक प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही के क्रम में प्रश्नगत स्थल का राजस्व विभाग तथा खनन विभाग, नियमित पुलिस द्वारा शिकायर्ताओ एवं पट्टाधारक के प्रतिनिधि श्री इन्दर भाटी की उपस्थिति में भू–अभिलेखानुसार संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्न है–

ग्राम कान्डेकन्याल चक बरखतिया, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बजीना, तहसील काण्डा अन्तर्गत पट्टाधारक श्री कुलदीप सिंह विष्ट के नाम पर सोप स्टोन खनन पट्टा स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त ग्राम के चनेत तोक में सोप स्टोन खनन कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त ग्राम में चल रही खनन पीट के समीप निवासरत श्री सादो राम पुत्र तिल राम एवं अन्य व्यक्तियों तथा समीप में स्थित गैस गोदाम काण्डा के भवन एवं कार्यालय होने के कारण उक्त व्यक्तियों तथा प्रबन्धक गैस सर्विस काण्डा के द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उक्त ग्राम के तोक चनेत में पट्टाधारक द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से खनन गतिविधियों के कारण आवसीय मकानों/गैस गोदाम/गैस कार्यालय/रास्ता/मन्दिर/नौला को खतरा बना है। जिस कारण खनन कार्य बन्द कर दिया जाय। खनन क्षेत्रो के समीप निवास करने वाले शिकायतकर्ता व्यक्तियों के नाम निम्नवत है– 1. श्री राजन राम पुत्र श्री दिवान राम 2. श्री कुवंर राम पुत्र श्री हरीश राम 3. श्री सादो राम पुत्र श्री तिल राम 4. श्री पूरन राम पुत्र श्री दौलत राम 5. श्री भरत राम पुत्र श्री किशन राम 6. श्री घनश्याम, मनोज कुमार पुत्रगण श्री प्रेम राम 7. श्री नरेश राम पुत्र श्री हरी राम 8. श्री कमलेश पुत्र श्री नन्दन राम 9. श्री दिनेश लाल पुत्र श्री गिरीश लाल आदि।

अभिलेखानुसार मौका निरीक्षण से पाया गया कि खनन स्थल के समीप मलवा श्री नरेश राम पुत्र श्री हरी राम के आवासीय मकान से करीब 15 मी0 की दूरी पर स्थित है। श्री सादो राम पुत्र श्री तिल राम तथा अन्य शिकायतकर्ताओं के आवासीय मकानों से उक्त खनन पीट करीब पचास मीटर की दूरी से अधिक पर स्थित है। मौके पर पट्टाधारक द्वारा उक्त शिकायतकर्ता श्री सादो राम पुत्र तिल राम आदि के आवासीय मकानों के करीब दस से पंद्रह मीटर की दूरी पर खनन स्थल से निकला मलवे का ढेर लगाया गया है।

पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन से उक्त शिकायतकर्ताओं के आवासीय मकानों को जोड़ने वाला एक प्रचलित आम रास्ता भी मौके पर क्षतिग्रस्त पाया गया उक्त पट्टाधारक द्वारा वर्तमान में काण्डा भाकड़पंत मोटर मार्ग, गैस गोदाम से पचास मीटर की परिधि अन्तर्गत एक खनन पीट संचालित किया गया है। जिससे भविष्य में खनन कार्य होने से मोटर मार्ग/मकानों/गैस गोदाम को क्षतिग्रस्त होने की प्रबल सम्भावना हुई है।

पट्टाधारक के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर अवगत कराया गया कि वर्तमान में जिस स्थान पर गैस गोदाम एवं कार्यालय स्थित है, उक्त स्थान के भू–स्वामी द्वारा पूर्व में खनन पट्टा स्वीकृत हेतु अपनी अनापत्ति दी गयी थी। पट्टा स्वीकृत होने के कई वर्षों बाद वर्ष 2009 में उक्त खनन क्षेत्रान्तर्गत बिना पट्टाधारक के संज्ञान में लिए बगैर बिना सहमति के भू स्वामी द्वारा अपनी भूमि को गैस सर्विस काण्डा को विक्रय कर दी गयी। उसके बाद ही मौके पर गैस गोदाम/गैस कार्यालय का निर्माण हुआ है। वर्तमान में गैस सर्विस काण्डा की भूमि स्वीकृत लीज खनन क्षेत्रान्तर्गत स्थित है।

Scanned with OKEN Scanner

पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्रान्तर्गत भूमिधरों की सहमति से खनन कार्य किया जा रहा है तथा मौके पर किसी भी भूमिधर द्वारा उसकी भूमि में बिना अनुमति के खनन किये जाने बावत कोई भी शिकायत नहीं की गयी। शिकायतकर्ता श्री सादो राम आदि उपरोक्त के मकान के समीप रखे गये मलवे के कारण सम्भावित भू–धसाव से भविष्य में आवासीय मकानों के खतरे को मध्येनजर रखते हुए, पट्टाधारक प्रतिनिधि को मौके पर उक्त आवासीय मकानों के समीप रखें मलवे को अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर डाले जाने के निर्देश दिया गया, साथ ही मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को यह भी हिदायत दी गयी कि वह मोटर मार्ग/नौला/रास्ता/मकानों/गैस गोदाम से निर्धारित दूरी छोड़ने हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करें।

उक्त खनन क्षेत्र के समीप स्थित आवासीय मकानों/रास्ता/मन्दिर/गैस गोदाम आदि को भविष्य में होने वाले खतरें को दृष्टिगत रखते हुए तथा इसके अतिरिक्त उक्त शिकायतकर्ताओं के आवासीय भवनों के आंगन में कुछ हल्की दरारें भी देखी गयी, जिसका कारण इत्यादि जानने के लिए भी भू–गर्भीय जॉच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक
बजीना

राजस्व निरीक्षक
काण्डा

तहसीलदार
काण्डा

खान अधिकारी
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
काण्डा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय काण्डा गैस सर्विस काण्डा

पत्रांक : 53 /11गैस दिनॉक 23-1-2023

सेवा में ,

उप –जिलाधिकारी महोदय काण्डा (बागेश्वर)

विषय-गैस गोदाम के समीप खनन कार्य रूकवाने के सम्बन्ध में .

महोदय ,

उक्त कम में अवगत कराना है कि निगम के जमीन से लगते हुए खडिया स्वामी द्वारा दिनॉक 21- 1 -.2023 से खडीया खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिससे भविष्य में गैस गोदाम की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थित में आई0 ओ0 सी0 द्वारा एजेन्सी को निरस्त किया जा सकता है।

अत : महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अपने सतर से जांच कर खनन कार्य रूकवाने के आदेश सम्बन्धित को देने का कष्ट करें ।

भवदीय 23/01/23.

प्रबन्धक

काण्डा गैस सर्विस काण्डा

प्रतिलिप - महाप्रबन्धक महोदय (प्रशासन)कु0म0वि0निगम नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में
श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
काण्डा बागेश्वर

विषय – ग्राम के खिलाफ खड़िया खान को बंद करने बाबत

महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम के मिलनदार खड़िया द्वारा हमारे मकानों के सामने बड़ी मशीनों द्वारा खुदाई कार्य हो रहा है। जिससे हमारे मकान पानी का नौला हरा-भरा खेत सड़क, कालिका मंदिर, गैरा जलस्रोत खराब होने के कगार पर है। हम लोग गरीब व भूमि हीन हैं हमारे पास मकान के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी दूसरी जगह स्थापित किया जाए या खड़िया माइन को बंद किया जाए जिससे हम व हमारे परिवार सुरक्षित रहें, व गांव का उचित निरक्षण किया जाये।

अतः महोदय से निवेदन है कि यदि खड़िया माइन बंद नहीं करायी गयी तो हम जन सेवक बालकृष्ण जी के साथ भूख हड़ताल करने को बाध्य रहेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।

वर्ष 2016 की पुरानी कार्यवाही संलग्न है।
दि० 21-1-2023

प्रार्थी
समस्त ग्राम वासी

नाम – हस्ताक्षर	नाम – हस्ताक्षर
(1) साधु राम – साधु राम	(11) नरेश राम – नरेश राम
(2) हरीश राम –	(12) जानकी देवी – जानकी देवी
(3) पूरन राम – पूरन राम	(13) सुनीता देवी – सुनीता देवी
(4) मुन्नी देवी – मुन्नी देवी	(14) जयन्ती देवी –
(5) ममता देवी – ममता देवी	(15) रीता देवी –
(6) राजेन्द्र प्रसाद –	(16) नीमा देवी –
(7) कृष्णा देवी –	(17) कौशल्या देवी – बिरलो देवी
(8) ममता देवी – ममता देवी	(18) विशनुली देवी –
(9) सुषमा देवी –	

[ग्रा]मीणों ने शुरू किया क्रमिक अनशन

[कां]डा तहसील के गैस गोदाम के पास हो रहे खड़िया खनन को बंद करने की मांग

कांडा के चनेत में क्रमिक अनशन पर बैठे ग्रामीण।

उप निदेशक ने चनेत खान बंद करने के दिए निर्देश

चनेत में खड़िया खनन रोकने को धरना जारी

ग्रामीणों ने शुरू किया क्रमिक अनशन

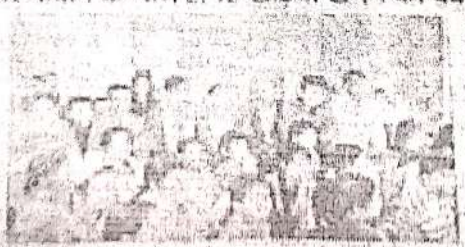

कांडा तहसील के गैस गोदाम के पास हो रहे खड़िया खनन को बंद करने की मांग

13 JAN 2023

कार्यालय उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तरा
जनपद बागेश्वर।

संख्या 667 /भू0खनि0इ0/जन0बागे0/2022–23, दिनांकः 09.01.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

2328
16.1.23

विषयः– **प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर मॉ कालिका मंदिर काण्डा (बागेश्वर) के आस–पास खड़िया खनन होने से मंदिर की नींव को नुकसान होने के संबंध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 174/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 03.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्री अर्जुन सिंह माजिला, प्रधान सेवक, महाकाली मंदिर काण्डा, जनपद बागेश्वर व अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2022 जो मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के पृष्ठांकन आदेश संख्या JA[B]1180/xxxx-5/2022[1], दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से प्राप्त है के संबंध में उपजिलाधिकारी काण्डा द्वारा प्रेषित आख्या में भूगर्भीय जांच का उल्लेख किये जाने के क्रम में प्रकरण में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में दिनांक 28.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसकी स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नानुसार हैः–

तहसील काण्डा अन्तर्गत ग्राम काण्डकन्याल चक बखतिया, रा0उ0नि0 क्षेत्र बजीना, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर अन्तर्गत श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के पक्ष में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत लीज क्षेत्र के समीप मॉ कालिका मंदिर काण्डा स्थित है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में पट्टाधारक द्वारा मंदिर से लगभग 150 मी0 की दूरी पर खनन कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंदिर के आस–पास कोई भी भूधंसाव/दरारें आदि नहीं पायी गयी। मंदिर तथा खनन क्षेत्र के मध्य आवासीय भवन तथा कृषि भूमि स्थित है जिसमें कोई भूधंसाव आदि नही पाया गया। वर्तमान में खनन कार्य के कारण मंदिर को कोई खतरा नहीं पाया गया।

भवदीय

(लेख राज)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी काण्डा, जनपद बागेश्वर।

संख्या 81 /पी0ए0–विविध/2022 दिनाक 29 नवम्बर, 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

01 DEC 2022

विषयः– प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर मॉ कालिका मन्दिर काण्डा (बागेश्वर) के आस–पास खड़िया खनन होने से मन्दिर की नींव को नुकसान होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 66/तीस–खनन–वृक्षारोपण/2022–22 दिनांक 03.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में पत्र के साथ संलग्न अध्यक्ष, माता कालिका मन्दिर कमेटी काण्डा, जनपद बागेश्वर श्री अर्जुन सिंह माजिला, प्रधान सेवक, महाकाली मन्दिर काण्डा, बागेश्वर व अन्य का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2022 पर तहसीलदार काण्डा से जॉच करायी गयी। तहसीलदार काण्डा द्वारा प्रस्तुत आख्या जो मूल में संलग्न है, के अनुसार ग्राम काण्डेकन्याल चक बखतिया, रा0उ0नि0 क्षेत्र बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर अन्तर्गत श्री कुलदीप सिंह बिष्ट के नाम सोप स्टोन पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत लीज क्षेत्र से मॉ कालिका मन्दिर काण्डा लगभग 100 मी0 बाहर स्थित है। वर्तमान में स्वीकृत लीज क्षेत्र में पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में कालिका मन्दिर काण्डा को कोई क्षति होना मौके पर नहीं पाया गया। खनन कार्य होने के कारण मन्दिर को भविष्य में होने वाले खतरे को दृष्टिगत रखते हुये खनन क्षेत्र तथा खनन क्षेत्र से मन्दिर की दूरी के सबंध में भू–गर्भीय जॉच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण आम जन मानस की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मानिका)
उपजिलाधिकारी
काण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय

उत्तराखण्ड सरकार देहरादून

उत्तराखण्ड

विषय – प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर मॉ कालिका मन्दिर कांडा (बागेश्वर)के आस – पास खड़िया खनन होने से मन्दिर की नींव को नुकसान होने के समबन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि दिनॉक 8/8/2022 को मन्दिर कमेटी काण्डा की ओर से एक पत्र माननीय पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी को मन्दिर की नींव को नुकसान होने के सम्बन्ध में प्रेषित किया था लेकिन उस पत्र का कोई जबाब मन्दिर कमेटी के पास आज तक नहीं आया है। महोदय उक्त पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न की जा रही है। महोदय उक्त जगह का निरीक्षण करना अति आवश्यक है जिससे कि मन्दिर की छवि बनीं रहे तथा कोई नुकसान न हो ।

अतः महोदय से निवेदन है कि इस विषय पर गौर कर शासन – प्रसाशन को सूचित कर उचित कार्यवाही करवाने की कृपा कीजियेगा। काण्डा क्षेत्र की समस्त जनता व मन्दिर कमेटी आपका आजीवन आभारी रहेगी। स्पीड पोस्ट की गई डाक विभाग की रसीद भी साथ में संलग्न की जा रही है।

धन्यवाद

कालिका मन्दिर कमेटी

काण्डा (बागेश्वर)

दिनांक 4/9/22

पत्रांक 2854 / 35-विविध /2020 दिनांक 25/08/2022

01.9.22

जिलाधिकारी, पदीक्षणो (पी) आवश्यक कार्यवाही करें,

सेवा में,

माननीय पर्यटन मंत्री महोदय श्री सतपाल महाराज जी,

उत्तराखण्ड सरकार देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर माँ कालिका मन्दिर काण्डा (बागेश्वर) के आस– पास खड़िया खनन होने से मन्दिर की नीव को नुकसान होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

OC/MC

SDM काण्डा परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें

आपके संज्ञान में लाना है कि कालिका मन्दिर काण्डा हमारे क्षेत्र की एक ऐतिहासिक धरोहर है इस मन्दिर के साथ समस्त क्षेत्र की भावनायें जुड़ी हुई हैं इस मन्दिर का निर्माण दसवीं शताब्दी में हो गया था पहले यह मन्दिर छोटे रुप में था समय के साथ– साथ इस मन्दिर का रुप भव्य होते गया। इस मन्दिर की उत्तरी दिशा में लम्बाई लगभग 50 मीटर के आस– पास खड़िया खनन का कार्य जोर से चल रहा है मन्दिर की उत्तर दिशा गहरी होने के कारण मन्दिर की नींव को खतरा होने की आशंका है मन्दिर के अन्दर जमीन में एक लम्बी दरार लगभग 18 फीट के आस– पास आ चुकी है शंका जतायी जा रही है कि मन्दिर की नींव को अगर इसी तरह से खनन होते रहा तो और नुकसान हो सकता है।इससे पूर्व भी उप जिलाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।

DC 31/8

महोदय समस्त क्षेत्र की जनता चाहती है कि एक बार पुरातत्व विभाग की टीम को भेजकर इस मन्दिर की सर्वे कराने की कृपा करें ताकि भविष्य में इस ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान न हो। महोदय मन्दिर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये इस मन्दिर की दूरी खनन क्षेत्र से काफी नजदीक है खनन होने से माइन की गहराई हर साल बढ़ती जा रही है जिस कारण मन्दिर की नींव को और खतरा हो सकता है।

महोदय इस मन्दिर की सर्वे करने के लिए पुरातत्व विभाग की टीम को भेजकर उचित कार्यवाही करवाने की कृपा कीजियेगा ताकि मानकों के अनुसार इस ऐतिहासिक मन्दिर को निकट भविष्य में कोई क्षति न हो सके ।महोदय इस क्षेत्र की समस्त जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं आप अपने स्तर से इस पुनीत कार्य को करवाने की कृपा कीजियेगा। मन्दिर कमेटी व क्षेत्र की समस्त जनता आपका आजीवन आभारी रहेगी।

8937963185

धन्यवाद

अध्यक्ष

कालिका माता मन्दिर कमेटी

बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

स्थान:- काण्डा

दिनांक:- 08 अगस्त 2022

(PTO)

Scanned with OKEN Scanner

1. गोविन्दसिंह माजिला
2. रामसिंह माजिला
3. गोकुल प्रसाद
4. जगदीशसिंह नगरकोटी
5. मनोज सिंह
6. पदमसिंह नगरकोटी
7. सुरेश राम
8. संजय राम
9. आनन्द चन्द पन्त
10. दिनेश लाल वर्मा
11. संजय काण्डपाल
12. भगवानसिंह माजिला
13. जानकी साह
14. मनोज सिंह माजिला
15. प्रकाश सिंह माजिला
16. हिमांशु
17. गौरव काण्डपाल मंदिर (पुजारी)
18. भगवानसिंह नगरकोटी
19. अर्जुनसिंह माजिला प्रधान सेवक महाकाली मंदिर [illegible]
20. सुरेन्द्र सिंह माजिला
21. सुशी सिंह
22. राजेश माजिला
23. प्रतिक्षा माथपाल
24. आनन्द सिंह

...सिंह मार्टोलिया — प्रेमसिंह

...बहादुर सिंह मार्टोलिया — Balwant

...नारायण सिंह मार्टोलिया — [illegible]

(28) दीपक राम — दीपक राम

(29) विक्रम सिंह मार्टोलिया — [illegible]

(30) पंकज सिंह — [illegible]

(31) [illegible] मार्टोलिया — [illegible]

(32) मनोहर राम — मनोहर राम

(33) सुरेन्द्र सिंह मर्टोलिया. — [illegible]